भारत सरकार

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन

गृह मंत्रालय

चित्र

आपदाओं संबंधी जानकारी के लिए टोल फ्री नं0 1070 डायल करें ।

ताजा समाचार संसाधन

एन आई डी एम में

कार्यकारी निदेशक का

पद भरने के लिए विज्ञापन

आपदा संबधी जोखिम को कम करने में सिविल रक्षा को मुख्य धारा से जोड़ने की 290.89 करोड़ रु0 की लागत वाली योजनागत स्कीम (2014-17)	**प्रेजेन्टेशन** राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के आपदा प्रबंधन प्रभाग, राहत आयुक्ता/सचिव का दक्षिण-पश्चिम मानसून, 2014 की समय पूर्व	**प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष में अंशदान** **प्रकाशन** * भारत में आपदा प्रबंधन को सुदृढ़ करने के लिए राज्य स्तर के कार्यक्रम

	तैयारी की समीक्षा करने हेतु वार्षिक सम्मेलन (सभी राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए)	
2010-15 के लिए एस डी आर एफ और एन डी आर एफ से सहायता की मदें और मानदंड	---वही--- 2014 की बाढ़ 2013 की बाढ़	**<u>उपयोगी लिंक</u>** * आई एम डी * आई एन सी ओ आई एस * सी डब्ल्यू सी * जी एस आई
आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की समीक्षा करने के लिए गठित कार्यबल की रिपोर्ट	**<u>भारत में आपदा प्रबंधन</u>** राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन नीति (एन पी डी एम) (अंग्रेजी) द्वितीय भारतीय आपदा प्रबंधन कांग्रेस	सी आर एफ/एन सी सी एफ मॉनीटरन प्रोफार्मा गृह मंत्रालय
राज्य आपदा अनुक्रिया निधि और राष्ट्रीय आपदा अनुक्रिया निधि प्रबंधन	राज्य स्तर के प्रशिक्षण संस्थानों में आपदा प्रबंधन संकाय के संचालन क	**<u>पूर्ववर्ती वर्ष</u>** जम्मू-कश्मीर राज्य में भूकंप प्रतिरोधी पुनर्निर्माण और ईंट

पर नियम पुस्तक	लिए केंद्रीय सहायता प्राप्त करने संबंधी संशोधित दिशानिर्देश	की नई ईमारतों के निर्माण संबंधी दिशानिर्देश
एस डी आर एफ में व्यय न की गई शेष राशि के समायोजन की नीति	राष्ट्रीय ई ओ सी नेटवर्क के कार्यान्वयन की स्थित के लिए सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को पत्र नगर और देश में योजना संबंधी कानूनों, भूमि इस्तेमाल जोन संबंधी विनियम और इमारतों की सुरक्षा के लिए भवन उप विधियों में मॉडल संशोधन	

खंड - I **खंड - II**

खंड - I - क **खंड I - ख**

www.idrn.gor.in

नए प्रयास

गृह मंत्रालय के सूचना - पत्र

नए अनुदेश

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा

आपदा संबंधी आंकड़े प्रस्तुत

करने के लिए एकसमान

फार्मेट I और II को लागू

करने के लिए अनुरोध

एस डी आर ए/एन डी आर एफ

के तहत राहत सहायता संबंधी

दिशानिर्देशों में शीत लहर/पाला

को मान्य प्राकृतिक आपदा के

रुप में शामिल करना ।

(अंग्रेजी में)

राष्ट्रीय आपदा अनुक्रिया निधि

(एन डी आर एफ) के गठन और

संचालन संबंधी दिशानिर्देश-उच्च

स्तरीय समिति (एच एल सी) का

पुनर्गठन

राज्य आपदा अनुक्रिया निधि

(एस डी आर एफ)/ राष्ट्रीय आपदा

अनुक्रिया निधि (एन डी आर एफ)

के गठन और संचालन संबंधी दिशानिर्देश

--वही–

(हिंदी में) (अंग्रेजी में)

क्षमता निर्माण अनुदान

अधिनियम और नियमावली

अभिलेख

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान

आपदा के प्रभाव को कम करने

पर विश्व सम्मेलन

प्रबंधन

प्रबंधन योजना

आपदा निवारण और प्रशमन

अनुसंधान और विकास

समिति

दस्तावेज

पते

फोटो गैलरी

यह साइट **राष्ट्रीय सूचना - विज्ञान केंद्र** द्वारा निर्मित एवं संचालित है

इस वेबसाइट की विषय-वस्तु राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्रभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा उपलब्ध करवाई गई है और अद्यतन की गई है । किसी और जानकारी या सुझाव के लिए इनसे संपर्क किया जा सकता है ।

भारत सरकार

गृह मंत्रालय

आपदा प्रबंधन प्रभाग

सी विंग, तीसरी मंजिल, एन डी सी सी ।। टॉवर,

जय सिंह रोड, नई दिल्ली -01

आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के अधीन राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान (एन आई डी एम) में वेतनमान 37,400-67,00रु.+ग्रेड वेतन 10,000/-रु. में प्रतिनियुक्ति आधार पर कार्यकारी निदेशक के पद के लिए प्राप्त व्यक्तियों के आवेदन-पत्र आमंत्रित हैं ।

कार्य संबंधी अपेक्षाएं : आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 42 (8) के तहत राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान आपदा प्रबंधन नीतियों, निवारण प्रक्रिया और प्रशमन उपायों के संबंध में योजना बनाने और आपदा प्रबंधन, प्रलेखीकरण और राष्ट्रीय स्तर की सूचना के विकास के क्षेत्र में प्रशिक्षण और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए जिम्मेदार है । कार्यकारी निदेशक संस्थान, उसके शासी निकाय के निर्णयों और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की व्यापक नीतियों और दिशानिर्देशों के कार्यान्वयन और केंद्र सरकार द्वारा सौंपे जाने वाले अन्य कार्य करने के लिए

जिम्मेदार है । वह संस्थान के प्रशासन प्रभाग का प्रभारी होगा और विभागाध्यक्ष के रुप में कार्य करेगा ।

<u>पात्रता:</u>

केंद्र सरकार अथव राज्य सरकार अथव संघ राज्य क्षेत्रों अथवा सांविधिक या स्वायत्त निकायों अथवा विश्वविद्यालयों अथव केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा पूर्णत: वित्त पोषित संथानों के पात्र अधिकारियों में से वे इसके लिए पात्र होंगे जो :

क) मूल संवर्ग (काडर) अथवा विभाग में नियमित आधार पर समरुप पद पर हैं, और

ख) अखिल भारतीय सेवा के अभ्यर्थियों को छोड़कर निम्नलिखित शैक्षिक अर्हता और अनुभव रखने वाले व्यक्ति ।

<u>अनिवार्य :</u>

i) केंद्र सरकार अथवा राज्य सरकारों अथवा संघ राज्य क्षेत्रों अथवा सांविधिक या स्वायत्त निकायों अथवा विश्वविद्यालयों अथवा केंद्र या राज्य सरकारो द्वारा पूर्णत: वित्त पोषित प्राप्त संस्थाओं में 18 वर्ष का प्रशासनिक और शैक्षिक अनुभव और कम से कम पांच वर्ष तक प्रशासनिक/सांविधिक अथवा प्रबंधकीय पद पर रहा हो ।

ii) किसी भी विषय में स्नातकोत्तर डिग्री ।

iii) आपदा प्रबंधन संबंधी क्षेत्रों की जानकारी और न्यूनतम पांच वर्ष का अनुभव ।

<u>वांछनीय :</u>

आपदा प्रबंधन से संबंधित किसी भी विषय में पी एच डी अथवा एम.फिल ।

टिप्पणी । : प्रतिनियुक्ति की अवधि सामान्यत: पांच वर्ष होगी जिसे सात वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है । तथापि, केंद्र सरकार के इसी अथव किसी अन्य संगठन अथवा विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पूर्व धारित अन्य संवर्गबाह्य पद में प्रतिनियुक्ति की अवधि सहित इस प्रतिनियुक्ति की अवधि अधिकतम सात वर्ष होगी ।

टिप्पणी 2 : प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति (अल्पावधि संविदा सहित) के लिए अधिकतम आयु सीमा विज्ञापन वाले वर्ष की 1 जुलाई को 56 वर्ष होगी ।

पात्र व्यक्ति, सतर्कता अनापत्ति और भारत सरकार के अवर सचिव रैंक या समकक्ष रैंक तक के अधिकारी द्वारा विधिवत अनुप्रमाणित पिछले 5 वर्ष की वार्षिक गोपनीय रिपोर्टों की फोटो प्रतियों के साथ उचित माध्यम से अपने आवेदन-पत्र भेजेंगे । यह भी पुष्टि की जाएगी कि नियुकति के लिए चयन होने पर संबंधित अधिकारी को तत्काल उसकी ड्यूटी से कार्य मुक्त कर दिया जाएगा । चयन होने के बाद अधिकारी को अपना नाम वापिस लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी । जो आवेदन-पत्र सही तरह से नहीं भरे गए हैं या उसके साथ ऊपर वर्णित अनुसार विवरण संलग्न नहीं किए गए हैं, उन्हें स्वीकार नहीं किया जाएगा और सरसरी तौर पर बिना किसी पत्राचार के अस्वीकार कर दिया जाएगा । उपर्युक्त पदों के लिए निर्धारित प्रोफार्मा में आवेदन-पत्र रोजगार समाचार में इस विज्ञापन के प्रकाशन की

तारीख से 45 दिन के अंदर अवर सचिव, डभ् एम-।।, आपदा प्रबंधन प्रभाग, तीसरी मंजिल, एन डी सी सी ।। टॉवर, जय सिंह रोड, नई दिल्ली 01 को भेजा जाएगा ।

संलग्नक - I

प्रोफार्मा :

1) नाम और पता (स्पष्ट अक्षरों में)

2) जन्म-तिथि (ईसवी सन् में):

3) केंद्र/राज्य सरकार के नियमों के अधीन सेवानिवृत्ति की तारीख :

4) शैक्षिक अर्हताएं :

5) क्या पद के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं पूरी करते हैं (यदि कोई योग्यता नियमों में निर्धारित योग्यता के समकक्ष मानी गई है तो उसके लिए प्राधिकरण का उल्लेख करें)

अपेक्षित अर्हताएं/अनुभव	अधिकारी की अर्हताएं/अनुभव
अनिवार्य (1) (2) (3)	
वांछित (1)	

(यदि आवश्यक हो तो अतिरिक्त शीट लगाएं)

6) कृपया स्पष्ट उल्लेख करें कि ऊपर दी गई प्रविष्टियों को ध्यान में रखते हुए आवेदक पद की अपेक्षाओं को पूरा करता है अथवा नहीं ।

7) तिथिक्रमानुसार नियोजन का विवरण । यदि नीचे दिया गया स्थान अपर्याप्त है तो अपने हस्ताक्षर से विधिवत् अनुप्रमाणित पृथक शीट संलग्न करें ।

कार्यालय/संस्था संगठन	धारित पद	कब से	कब तक	वेतनमान और मूल वेतन	कार्य का स्वरुप

---

8) वर्तमान नियोजन का विवरण:

i) कृपया उल्लेख करें कि निम्नलिखित में से किसके अधीन कार्यरत है:-

क) केंद्र सरकार

ख) राज्य सरकार

ग) संघ राज्य क्षेत्र

घ) सांविधिक अथवा स्वायत्त निकाय अथवा विश्वविद्यालय अथवा केंद्र/राज्य सरकार द्वारा पूर्णत: वित्त पोषित संस्थान :

ii) तदर्थ अथवा अस्थायी या स्थायी में से किस आधार पर कार्यरत हैं :

iii) यदि वर्तमान नियोजन प्रतिनियुक्ति/संविदा आधार पर है तो कृपया उल्लेख करें :-

क) प्रारंभिक नियुक्ति की तारीख

ख) प्रतिनियुक्ति/संविदा आधार पर नियुक्ति की अवधि

ग) आपके मूल कार्यालय/संगठन का नाम :

9) वर्तमान नियोजन में वेतन संबंधी विवरण:

i) वेतनमान (यदि संशोधित वेतनमान में हैं तो उल्लेख करें कि किस तारीख से संशोध्न किया गया और संशोध्न पूर्व वेतनमान का भी उल्लेख करें):

ii) वर्तमान में आहरित कुल मासिक पारिश्रमिक:

10) अतिरिक्त जानकारी, यदि कोई है, जिसका आवेदक इस पद के लिए अपनी उपयुक्तता की पुष्टि में उल्लेख करना चाहता है । (यदि उपलब्ध स्थान अपर्याप्त है तो पृथक शीट संलग्न करें):

तारीख: अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

प्रतिहस्ताक्षरित: नाम

(नियोक्ता) कार्यालय का पता (टेलीफोन/

नाम (स्पष्ट अक्षरों में): फैक्स नंबर सहित):

पदनाम:

सरकारी मोहर:

कार्यकारी निदेशक, एन आई डी एम, का पद भरने संबंधी विज्ञापन रोजगार समाचार-पत्र (21-27 फरवरी, 2015) में प्रकाशित किया गया है और तदनुसार आवेदन-पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि 7 अप्रैल, 2015 होगी ।

सं. ।-45011/22/2012/ए डी(सी डी)

भारत सरकार

गृह मंत्रालय

(आपदा प्रबंधन प्रभाग)

तीसरी मंजिल, बी-विंग, एन डी सी सी

।। बिल्डिंग,

जय सिंह रोड, नई दिल्ली - 110001

तारीख 5 अगस्त, 2014

सेवा में,

मुख्य सचिव, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र

(संलग्न सूची के अनुसार)

विषय: आपदा संबंधी जोखिम को कम करने में सिविल रक्षा को मुख्य धारा से जोड़ने की 290.89 करोड़ रु. की लागत वाली योजनागत स्कीम (2014-17)

महोदय,

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आपदाओं के परिणामस्वरुप बड़े पैमाने पर जान-माल की क्षति होती है और समाज में सामान्य जीवन अस्त- व्यस्त हो जाता है । किसी भी आपदा का सामना सबसे पहले समाज के लोगों को करना पड़ता है, इसलिए किसी भी आपात स्थिति/आपदा की स्थिति से निबटने के लिए समान के लोगों को पर्याप्त रुप से जागरुक करना और तैयार करना बहुत महत्वपूर्ण

है ताकि नुकसान और कष्ट को कम किया जा सके चूंकि सिविल रक्षा समुदाय आधारित एक स्वैच्छिक संगठन है अत: यह न केवल जनता में आपदा से संबंधित जागरुकता लाने में बल्कि किसी भी आपदा की स्थिति में आने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए सामुदायिक क्षमता निर्माण में भी मुख्य भूमिका अदा कर सकता है ।

2. भारत सरकार का यह मानना है कि किसी भी आपात स्थिति में चाहे वह प्राकृतिक हो या मानक निर्मित सक्षम और प्रभावी प्रतिक्रिया के लिए कार्यतंत्र सृजित करने हेतु भारत के सभी जोखिम-प्रवण शहरी/ग्रामीण क्षेत्रों में पर्याप्त संख्या में आपात स्थिति में काम करने वाले प्रशिक्षित स्वैच्छिक कार्यकर्त्ताओं का कार्यबल होना जरुरी है । तदनुसार, भारत सरकार, गृह मंत्रालय, आपदा प्रबंधन प्रभाग के दि. 6 जून, 2014 के आदेश सं. 1-45011/22/2012-ए डी (सी डी) के तहत आपदा जोखिम को कम करने में सिविल रक्षा को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए नई योजनागत स्कीम को मंजूरी दी गई है । मंजूरी-पत्र की प्रति संलग्न है जिसमें निम्नलिखित शामिल है:-

i)	संलग्नक 'क' :	(सरकार द्वारा अधिकृत भवनों में) मौजूदा सिविल रक्षा प्रशिक्षण संस्थान (सी डी टी आई) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की सूची

ii)	संलग्नक 'ख' :	सरकार के स्वामित्व वाले/किराए पर लिए भवनों में कार्यरत मौजूदा सिविल रक्षा प्रशिक्षण संस्थानों के लिए उपकरणों की सूची
iii)	संलग्नक 'ग' :	140 सर्वाधिक जोखिम-प्रवण जिलों की सूची
iv)	संलग्नक 'घ' :	140 सर्वाधिक जोखिम-प्रवण जिलों में सिविल रक्षा स्थापना का सृजन
v)	संलग्नक 'ड.' :	बहु-आपदा प्रवण जिलों के लिए उपकरणों की सूची
vi)	संलग्नक 'च' :	एम एच डी और एम वी डी के लिए मूलभूत जीवनरक्षक उपकरणों की सूची
vii)	संलग्नक 'छ' :	इस समय मौजूद 100 बहु-आपदा प्रवण जिलों की सूची
viii)	संलग्नक 'ज' :	240 जिलों में आपदा प्रबंधन में सामुदायिक भागीदारी
ix)	संलग्नक 'झ' :	क्षमता निर्माण

इस स्कीम का कुल परिव्यय 290.89 करोड़ रु. निर्धारित किया गया है और यह 12वीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान कार्यान्वित की जाएगी । इस स्कीम का उद्देश्य 11वीं पंच वर्षीय योजनावधि के दौरान देश में शुरु की गई सिविल रक्षा स्थापना के पुनर्निर्माण क लिए केंद्र द्वारा प्रायोजित स्कीम में प्राप्त सफलता को बरकरार रखने के लिए और अधिक प्रयास करना तथा ऐसी कार्य-योजना तैयार करना है जिससे देश के 32 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के 140 अतिरिक्त जिलों में सिविल रक्षा की तत्पर प्रचालन क्षमता का विस्तार किया जा सके जिसका उद्देश्य विविध आपदा प्रवण/सर्वाधिक जोखिम प्रवण के रुप में चिह्नित सभी 240 जिलों में

कुशल स्वयंसेवकों के न्यूनतम स्थायी कर्मचारियों वाली अनुक्रिया प्रणाली (सिस्टम) की स्थापना करना है ।

3. स्कीम के उद्देश्य इस प्रकार है:-

i) राज्यों में सिविल रक्षा संगठनों को पुनर्जीवित करने संबंधी पूर्णवर्ती स्कीम के प्राप्त लक्ष्यों को बरकरार रखना और जिन जिलों/राज्यों में सिविल रक्षा संगठन नहीं है वहां इन संगठनों का सृजन करना और सिविल रक्षा प्रशिक्षण अवसरंचना का विकास करना ।

ii) चिह्नित किए गए 240 जिलों में प्रशिक्षित सिविल रक्षा स्वयंसेवकों की क्षमता को बढ़ाना जिनमें 140 सर्वाधिक जोखिम प्रवण जिले (एम वी डी) हैं जो या तो भूकंपी जोन 5 में स्थित हैं या तटवर्ती जोन में हैं और पूर्ववर्ती स्कीम में शामिल 100 विविध आपदा प्रवण जिले (एम एच डी) हैं ।

iii) आपदा संबंधी जोखिम को कम करने और सामुदायिक स्तर पर आपदा प्रबंधन कार्यकलापों में भागीदारी के लिए 240 एम वी डी/एम एच डी में सिविल रक्षा स्वयंसेवकों की जोशीली, प्रशिक्षित और उपकरणों से सुसज्जित टीम की उपलब्धता सुनिश्चित करना ।

iv) विदेशों में सुविख्यात प्रशिक्षण संस्थाओं और राज्य स्तर के सिविल रक्षा प्रशिक्षण संस्थानों में जनशक्ति को प्रशिक्षण देकर उनके कौशल में वृद्धि करके प्रशिक्षण जनशक्ति का पूल तैयार करना ।

v) देश की आपदा प्रबंधन कार्यनीति में सिविल रक्षा को अग्रणी रखते हुए सिविल रक्षा संस्थाओं को मजबूत बनाना क्योंकि सबसे पहले समाज के लागों को ही आगे बढ़कर कार्रवाई करनी होगी ।

vi) पूरे देश मे व्यापक मीडिया अभियान चलाकर और क्षेत्रीय कार्यशालाएं आयोजित करके आपता-जोखि को कम करने और आपदा प्रबंधन में सिविल रक्षा संगठनों की भूमिका और सिविल रक्षा संगठनों के कार्यकलापों का प्रचार करना और जागरुकता लाना ।

4. स्कीम के निर्बाध कार्यान्वयन और मॉनीटरन के लिए स्थापित परियोजना मॉनीटरन यूनिट (पी एम यू) के माध्यम से डी एम प्रभाग, गृह मंत्रालय के तत्वाधान में महा निदेशालय एफ एस, सी डी और एच जी द्वारा परियोजना का कार्यान्वय और मॉनीटरन किया जाएगा । पी एम यू स्टाफ स्कीम की प्रत्यक्ष और वित्तीय प्रगति का मॉनीटरन करने के लिए राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों का दौरा करने और राज्यों को अपेक्षित सुधार करने, यदि कोई हो, की सलाह देने के लिए जिम्मेदार होगा । राज्य स्तर पर, स्कीम का कार्यान्वयन निदेशक, सिविल रक्षा

संगठन के माध्यम से किया जाएगा जो जिला स्तर पर सिविल रक्षा प्राधिकारियों के माध्यम से परियोजना को कार्यान्वित करेगा ।

5. स्कीम के तहत प्रत्येक भागीदार राज्य/संघ राज्य क्षेत्र को आबंटित अनंतिम संघटक कर निधि और कुल निधि संलग्नक ‘ ’ में दी गई है । यह निधि इस मंत्रालय द्वारा स्कीम अवधि के दौरान इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से सहायता अनुदान के रुप में संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों को जारी की जाएगी । तथापि, निधि जारी करने की सूचना की हार्ड कॉपी और उसके बाद ब्यौरेवार मंजूरी आदेश सूचनार्थ और आवश्यक कार्रवाई के लिए डी जी (एस एस, सी डी और एच जी) द्वारा संबंधित प्रधान सचिव को और निदेशक, सिविल रक्षा को अग्रेषित किया जाएगा । इसके बाद यह निधि राज्य।/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा उनकी बजट प्रक्रिया के अनुसार निदेशक, सिविल रक्षज्ञ को जारी की जाएगी । आबंटित निधि का सही समय पर इस्तेमाल करने और सक्षम प्राधिकारी द्वारा विधिवत प्रतिहस्ताक्षरित उपयोगिता प्रमाणपत्र (यू सी) प्रस्त्त करने की जिम्मेदारी निदेशक, सिविल रक्षा की होगी । पूर्ववर्ती वर्षों में जारी निधि के लिए उपयोगिता प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने के आधार पर बाद के वर्षों में सहायता अनुदान जारी की जाएगी ।

6. परियोजना में ऐसी घटक शामिल हैं जिनमें राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सहायता अनुदान जारी करके चल और अचल आस्तियो का सृजन भी शामिल होगा । उसके बाद संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र द्वारा आवर्ती लागत सहित इन

आस्तियों का संचालन और रख-रखाव किया जाएगा । यद्यपि आस्तियों की खरीद की जिम्मेदारी संबंधित निदेशक, सिविल रक्षा की होगी और वह सभी संहिताबद्ध औपचारिकताओं और वित्तीय विवेक का अनुपालन करेगा किंतु चल/अचल आस्तियों का तकनीकी विनिर्देशन पी एम यू द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा ।

7. आपसे अनुरोध है कि आप अपने राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में उपर्युक्त स्कीम का कार्यान्वयन सुनिश्चित करें ।

भवदीय,

ह0/-

(संजय अग्रवाल)

निदेशक

दूरभाष : 23438154

सूचना और आवश्यक कार्रवाई के लिए
प्रतिलिपि अग्रेषित -

डी जी (एफ एस, सी डी, एच जी)

I-45011/22/2012/ए डी(सी डी)

भारत सरकार

गृह मंत्रालय

(आपदा प्रबंधन प्रभाग)

बी-विंग, तीसरी मंजिल,

एन डी सी सी टॉवर -II

जय सिंह रोड, नई दिल्ली

दिनांक 6 जून, 2014

आदेश

विषय:- आपदा संबंधी जोखिम को कम करने में सिविल रक्षा को मुख्य धारा से जोड़ने की 290.89 करोड़ रु. की लागत वाली योजनागत स्कीम का अनुमोदन ।

12वीं पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान 290.89 करोड़ रु. (केवल दो सौ नब्बे करोड़ नवासी लाख रु.) के कुल परिव्यय वाली "आपदा सबंधी जोखिम को कम करने में सिविल रक्षा को मुख्य धारा से जोड़ने संबंधी" योजनागत स्कीम के कार्यान्वयन के लिए सक्षम प्राधिकारी ने स्वीकृति दे दी है । राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों को केंद्रीय सहायता नीचे दिए गए मद वार विवरण के अनुसार दी जाएगी :-

क्रम सं0	घटक	लागत (करोड़ रु. में)
i)	23 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में (संलग्नक 'क' के अनुसार) सरकार द्वारा अधिकृत भवनों में कार्यरत मौजूदा सी डी टी आई को प्रति सी डी टी आई 27 लाख रु. की दर से उपकरणों की खरीद के लिए उन्हें मजबूत बनाना । उपकरणों का विवरण और उनकी यूनिट लागत संलग्नक 'ख' में दी गई है ।	6.21
ii)	3 राज्यों, जैसे पंजाब, हिमाचल प्रदेश और मध्य प्रदेश, में किराए के भवनों में कार्यरत मौजूदा सी डी टी आई को प्रति सी डी टी आई 27 लाख रु. की दर से उपकरणों की खरीद के लिए उन्हें मजबूत बनाना । उपकरणों का विवरण और उनकी यूनिट लागत संलग्नक 'ख' में दी गई है ।	0.81
iii)	140 सर्वाधिक जोखिम प्रवण जिलों (सूची संलग्नक ग में 129.25 दी गई है) में सिविल रक्षा स्थापना का सृजन । लागत सबंधी विवरण संलग्नक 'ग' में दिया गया है ।	129.25
iv)	संलग्नक 'च' के अनुसार उपकरणों सहित ऐंबुलेंस की खरीद के लिए मौजूदा 100 एम	8.00

	एच डी (सूची संलग्नक ड. में दी गई है) में सिविल रक्षा स्थापना को मजबूत बनाना ।	
v)	240 जिलों (140 सर्वाधिक जोखिम प्रवण जिलों और 100 विविध - आपदा वाले जिलों में प्रशिक्षण शिविर/मॉक ड्रिल/प्रदर्शन/ प्रदर्शनियां/रैली आदि के माध्यम से आपदा प्रबंधन में सामुदायिक भागीदारी (लागत संलग्न 'ज' के अनुसार)	117.47
vi)	चार जोनों में प्रति वर्ष 2 कार्यशालाओं की दर से अभिविन्यास कार्यशालाएं अर्थात् 48 कार्यशालाएं (प्रति कार्यशाला 3,12,500रु.)	1.50
vii)	विदेश में सिविल रक्षा संस्थाओं में प्रशिक्षणार्थियों के प्रशिक्षण सहित क्षमता निर्माण सी डी स्वयंसेवकों का प्रत्यक्ष अनुभव दौरा और प्रशिक्षण । लागत संबंधी विवरण संलग्नक । में दिया गया है ।	16.00
viii)	सिविल रक्षा जागरुकता कार्यक्रम सहित परियोजना प्रबंधन, मॉनीटरन और मूल्यांकन । लागत संबंधी विवरण संलग्नक और ट में दिया गया है । इन मदों पर व्यय डी जी (अग्निशमन, सी डी और एच जी) कार्यालय द्वारा किया जाएगा	11.65

	कुल जोड़	290.89

2. सचिव (सीमा प्रबंधन) की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय शक्ति प्राप्त समिति समग्र नीति निर्देशन, मॉनीटरन, आवधिक समीक्षा और मध्यावधि सुधार करेगी ।

3. डी जी (एफ एस, सी डी और एच जी) की अध्यक्षता में तकनीकी अनुमोदन समिति उपकरणों की खरीद के लिए तकनीकी विनिर्देशों को अंतिम रुप देगी ।

4. यह स्कीम, गृह मंत्रालय के तत्वाधान में डी जी (एफ एस, सी डी और एच जी) के कार्यालय द्वारा कार्यान्वित की जाएगी । इसका मॉनीटरन संयुक्त सचिव (आपदा प्रबंधन) गृह मंत्रालय के परामर्श से डी जी (एफ एस, सी डी और एच जी) के पर्यवेक्षणाधीन किया जाएगा । प्रारंभ में परियोजना मॉनीटरन यूनिट का गठन किया जाएगा जिसमें 2 परियोजना निदेशक, 1 उप परियोजना निदेशक और 1 सहायक परियोजना निदेशक होगा और आने वाले समय में 4 जोनल परियाजना अधिकारियों (चंडीगढ़, गुवाहाटी, अहमदाबाद और बेंगलुरु में एक-एक की नियुक्ति करके इसे और मजबूत बनाया जा सकता है । एक परियोजना निदेशक की तैनाती गृह मंत्रालय के आपदा प्रबंधन प्रभाग में की जाएगी जो स्कीम के कार्यान्वयन का निरीक्षण करेगा ।

5. राज्य और केंद्रीय लेखापरीक्षक प्रति वर्ष स्कीम की लेखापरीक्षा करेंगे । तीन वर्ष के बाद स्कीम का मध्यावधि मूल्यांकन और सुधार तथा 5 वर्ष के बाद कार्यकाल के अंत में मूल्यांकन/प्रभाव अध्ययन किया जाएगा ।

6. राज्य/संघ राज्य क्षेत्र स्कीम के विभिन्न घटकों का कार्यान्वयन करने के लिए स्थानीय सामग्री, कार्मिकों और स्थानीय संस्थागत संसाधनों का इस्तेमाल सुनिश्चित करेंगे । और गांवों में सिविल रक्षा क्षमताओं को बढ़ाने के लिए प्रत्येक गांव में नहरों आदि की खुदाई करने के लिए मनरेगा जैसी

अन्य स्कीमों से निधि के इस्तेमाल को भी प्रोत्साहित करेंगे ।

7. गृह मंत्रालय की अनुदान संबंधी मांग के तहत व्यय को निम्नलिखित लेखा-शीर्षों में डेबिट किया जाएगा ।

<u>अनुदान सं. 55 सिविल रक्षा संगठनों का पुनर्निर्माण</u>

मुख्य शीर्ष 3601.01.08.31 - राज्य सरकार को सहायता अनुदान

मुख्य शीर्ष 3602 - ऐसे संघ राज्य क्षेत्रों को सहायता अनुदान जहां विधानमंडल हैं

मुख्य शीर्ष 2055 उपशीर्ष 14.11- ऐसे संघ राज्यक्षेत्रों में व्यय, जहां विधानमंडल नहीं है -

सहायता अनुदान

मुख्य शीर्ष 2055 उपशीर्ष 14.10- डी जी (एफ एस, सी डी और एच जी द्वारा किया जाने वाला व्यय

8. यह आदेश दि. 5 जून, 2014 की डायरी सं. 3136832 के द्वारा आई एफ डी और दि. 4 जून, 2014 के यू.ओ. नं. 37(।।)/पी एफ.।।/2013 के द्वारा विभाग, वित्त मंत्रालय की सहमति से जारी किया गया है ।

ह0/-

(संजय अग्रवाल)

निदेशक

दूरभाष: 011-23438154

प्रतिलिपि:

1. वेतन एवं लेखा कार्यालय, गृह मंत्रालय, 2/10 जामनगर हाउस, नई दिल्ली-110001
2. निदेशक (वित्त-गृह), गृह मंत्रालय, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली
3. मुख्य लेखा नियंत्रक, गृह मंत्रालय, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली
4. डी जी (एफ एस, सी डी और एच जी), ईस्ट ब्लॉक-7, लेवल-VII, आर.के.पुरम, नई दिल्ली-110066
5. निदेशक, योजना वित्त ।। डिवीजन, व्यय विभाग, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली
6. सलाहकार, योजना आयोग (परियोजना मूल्यांकन और प्रबंधन प्रभाग), योजना भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001

संलग्नक 'क'

ऐसे राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की सूची जहां मौजूदा सी डी टी आई हैं

(सरकार के स्वामित्व वाले भवनों में)

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र
1.	अंडमान-निकोबार
2.	आंध्र प्रदेश
3.	अरुणाचल प्रदेश
4.	असम
5.	बिहार
6.	छत्तीसगढ़
7.	दिल्ली
8.	गुजरात
9.	हरियाणा
10.	जम्मू-कश्मीर
11.	झारखंड
12.	कर्नाटक
13.	केरल
14.	महाराष्ट्र
15.	मेघालय
16.	उड़ीसा
17.	राजस्थान

18. सिक्किम
19. तमिलनाड़
20. त्रिपुरा
21. उत्तर प्रदेश
22. उत्तराखंड
23. पश्चिम बंगाल

संलग्नक 'ख'

सरकार के स्वामित्व वाले/किराए पर लिए गए भवनों में मौजूदा सिविल रक्षा प्रशिक्षण संस्थानों के लिए उपकरणों की सूची

बचाव/प्रशिक्षण उपकरण

क्रम सं0	उपकरण का विवरण	यूनिट	दर/ यूनिट (रु.)	मात्रा/ किट	लागत/ किट
1.	सर्च लाइट हैंड हेल्ड - दो चार्ज से चार्ज होने वाली	नं.	4500-00	2	9000
2.	रोप कर्नमेंटल सेमी स्टेटिक 100 मीटर, 11 मि0मी0 व्यास	नं.	24,000	10	240000
3.	सी ई, ई एन 12277, टाइप सी/यू आई ए ए, 105 के अनुसार अनुमोदित समायोज्य सीट हार्नेस, 500 ग्राम वजन	नं.	8500	10	85000
4.	नाशपाती के आकार का स्क्रू केराबिनर ई एन 362 श्रेणी बी, ई एन 12275 बी और एच/यू आई ए	नं.	1300	10	13000

	ए, ब्रेकिंग स्ट्रैंथ 20KN				
5.	02 केराबिनर के साथ क्विक ड्रा, ई एन 12275 बी/यू आई ए ए, ब्रेकिंग स्ट्रैंथ 22KN	नं.	2000	10	20000
6.	स्टॉप लॉक डिसेंडिंग, सी ई ई एन 341, श्रेणी ए, 10-12मि0मी0 कर्नमेंटल रोप के साथ इस्तेमाल के लिए, 325 ग्राम वजन	नं.	7500	10	75000
7.	गिरि-गिरि नियम-पुस्तक, 10-12मि0मी0 के सिंगल रोप के साथ इस्तेमाल के लिए सेल्फ ब्रेकिंग यंत्र, सी ई प्रमाणित, 225 ग्राम वजन	नं.	7000	10	70000
8.	असेंडर मैनुअल - बाएं और दाएं प्रमाणीकरण सी ई ई एन 567 एन एफ पी पी ए 1983 एस सी ई ई एन 12841 टाइप B 8-13मि0मी0 व्यास के विट रोप के इस्तेमाल के लिए उपयुक्त, 195 ग्राम वजन	नं.	8000	10	80000

9.	सी ए सेट के साथ सी बी आर एन मास्क (कार्बन कंपोजिट सिलेंडर), कार्य समय 45 मिनट, पेय जल पोर्ट और पानी की बोतल के साथ, पूरी तरह से भरे हुए का कुल वजन, अधिनियम 11.5कि0ग्रा0	नं.	110000	4	44,000
10.	बी ए (BA) सेट सिलिंडर भरने के लिए संपीडक	नं.	245000	1	245000
11.	बचाव कुर्सी - वर्टिकल एसेंट/डीसेंट के लिए हार्नेस कुर्सी (सीधी चढ़ाई/ढ़लान के लिए हार्नेस कुर्सी)	नं.	12500	4	5000
12.	सुवाह्य जनरेटर सेट - 2800वाट	नं.	50000	2	100000
13.	विदयुरोधित शैफ्ट कटिंग के साथ पोल प्रूनर टेलिस्कोपिक, ऊंचाई 5 मीटर तक, 10 ईंच व्यास तक की शाखाएं काटने के लिए उपयुक्त, कुल वजन अधिकतम 7.5 कि0ग्राम1	नं.	85000	1	85000
14.	न्यूनतम 2.6 टन पुलिंग क्षमता और	नं.	24000	2	48000

	न्यूनतम 1.6 टन लिफ्टिंग क्षमता वाला कम एलोंग				
15.	न्यूनतम 120 फुट ऊर्ध्वाधर ऊंचाई और 200 फुट क्षैतिज अवस्था में 1-12 मि0मी0 व्यास का रस्सा फेंकने की क्षमता रखने वाला डिलीवरी गन	नं.	520000	1	520000
16.	दो हैलोजन लैंप और 4 मि0मी0 व्यास की 100मीटर लंबी विद्युत तार के साथ सूक्ष्मदर्शी स्टैंड	सेट	10000	2	20000
17.	सी पी आर मेनीक्विन (टोर्सो)	नं.	12000	50	600000
जोड़					2700000
अर्थात् 27.00 लाख रु.					

संलग्नक 'ग'

140 सर्वाधिक जोखिम प्रवण जिलों की सूची

क्रम सं.	राज्य	जिले
1.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	अंडमान
2.	"	निकोबार
3.	आंध्र प्रदेश	पूर्वी गोदावरी
4.	"	गुंतूर
5.	"	नेल्लोर
6.	"	पश्चिम गोदावरी
7.	"	प्रकासम
8.	"	कृष्णा
9.	"	श्रीकाकुलम
10.	"	विजयनगरम
11.	"	चांगालांग
12.	"	दिबंग वैली
13.	"	पूर्वी कामेंग सेपा
14.	"	पूर्वी सियांग पासिघाट
15.	"	लोहित
16.	"	लोअर सुबांसिरी
17.	"	पापुम पारे
18.	"	तवांग

19.	”	तिरप
20.	”	अपर सियांग
21.	”	अपर सुबांसिरी
22.	”	पश्चिम कामेंग
23.	”	पश्चिम सियांग
24.	असम	बारपेब
25.	”	काचड़
26.	”	घुबरी
27.	”	गोलयारा
28.	”	हैलाकांडी
29.	”	कामरुप
30.	”	करीमगंज
31.	”	लखीमपुर
32.	”	मोरीगांव
33.	”	नागांव
34.	”	नालबाड़ी
35.	”	नार्थ काचड़ हिल्स
36.	”	सिबसागर
37.	”	सोनितपुर
38.	”	अपर धीमाजी
39.	बिहार	अरारिआ
40.	”	दरभंगा
41.	”	किशनगंज

42.	"	माधीपुरा
43.	"	मधुबनी
44.	"	नालंदा
45.	"	सहरसा
46.	"	सीतामरही
47.	"	सुपाउल
48.	गुजरात	पाटन
49.	"	राजकोड
50.	"	वलसाड़
51.	"	जूनागढ़
52.	"	भावनगर
53.	"	अमरेली
54.	"	आनंद
55.	हिमाचल प्रदेश	बिलासपुर
56.	"	चंबा
57.	"	हमीरपुर
58.	"	कांगड़ा
59.	"	कुल्लु
60.	"	मनाली
61.	"	सोलन
62.	"	उना
63.	कर्नाटक	उडुथी
64.	"	दक्षिण कन्नड़

65.	"	उत्तरी कन्नड़
66.	केरल	कसारागोड़
67.	"	कभूर
68.	"	वायानाद
69.	"	कोजिकोड
70.	"	मालापुरम
71.	"	पालक्कड़
72.	"	त्रिसूर
73.	"	अर्नाकुलम
74.	"	ईडुबली
75.	"	कोट्टायम
76.	"	आलापुजहा
77.	"	पत्तनम्तिट्टा
78.	"	कोल्लम
79.	"	तिरुवनंतपुरम
80.	मणिपुर	विष्णुनी
81.	"	चंदेल
82.	"	चुराचांदपुर
83.	"	पूर्वी इंफाल
84.	"	पश्चिमी इंफाल
85.	"	सेनापाटी
86.	"	तामंगलोंग
87.	"	थाउबल

88.	"	उखरुल
89.	मेघालय	पूर्वी गारो हिल्स
90.	"	पूर्वी खज़सी हिल्स
91.	"	जेनतिआ हिल्स
92.	"	रिभोई
93.	"	दक्षिणी गारो हिल्स
94.	"	पश्चिमी गारो हिल्स
95.	"	पश्चिमी खासी हिल्स
96.	मिजोरम	ऐजोल
97.	"	चपाई
98.	"	कोलासिव
99.	"	लावंगतालाई
100.	"	लुंगलेई
101.	"	माईनिट
102.	"	साइहा
103.	"	सरचिप
104.	नागालैंड	दिमापुर
105.	"	कोहिमा
106.	"	मोन मोकोकचुआंग
107.	"	अस्पष्ट
108.	"	फेक/फीक
109.	"	ट्बेनसांग
110.	"	वोखा

111.	"	जुनेबोटो
112.	ओडिशा	गंजम
113.	"	पुरी
114.	पुड्डुचेरी	पुड्डुचेरी
115.	तमिलनाडु	तिरुवल्लूर
116.	"	कांचीपुरम
117.	"	विल्लुपुरम
118.	"	एरियाल्लूर
119.	"	कुड्डालूर
120.	"	तिरुवरुर
121.	"	तंजवूर
122.	"	फुड्डुकोट्टई
123.	"	रामनाथपुरम
124.	"	पुट्टुकुड्डी
125.	"	तिरुनेलवेल्ली
126.	"	कन्याकुमारी
127.	त्रिपुरा	धलाई
128.	"	उत्तरी त्रिपुरा
129.	"	दक्षिण त्रिपुरा
130.	"	पश्चिम त्रिपुरा
131.	उत्तराखंड	अलमोड़ा
132.	"	बागेश्वर
133.	"	चमोली

134.	"	पिथोरागढ़
135.	"	रुद्र प्रयाग
136.	पश्चिम बंगाल	कूच बीहार
137.	"	दक्खिन दीनजपुर
138.	"	दार्जिलिंग
139.	"	जलपाईगुड़ी
140.	"	मालदा

संलग्नक 'घ'

140 सर्वाधिक जोखिम प्रवण जिलों में

सी डी स्थापना का गठन

(रु0)

क्र0 सं0	श्रेणी	दर	पैमाना	कुल लागत/ एम वी डी	एम वी डी के लिए कुल राशि
1.	दो मंजिला विन्यास वाले भवन की अवसंरचना में निम्नलिखित शामिल है i) उपकरण स्टोर, भंडारी का कार्यालय और भू-तल पर एक शौचालय और सम्मेलन कक्ष, उप नियंत्रक का कार्यालय, पैन्ट्री और प्रथम तल पर दो शौचालय ii) गाड़ियां खड़ी करने के लिए	1938.00 929.00	1250 वर्ग फुट 140 वर्ग फुट	2422500.00 130060.00	339200000.00 18200000.00

	गैराज				
2.	तलाशी और बचाव कार्य, निजी सुरक्षा के लिए उपकरण और श्रव्य-दृश्य उपकरण (संलग्नक ड. के अनुसार)	3624900.00	प्रत्येक	**3624900.00**	**507486000.00**
3.	परिवहन जिसमें निम्नलिखित शामिल है संलग्नक च के अनुसार उपकरण युक्त प्रत्येक 01 ऐंबुलेंस (8लाख रु.) शामिल है, 01 क्यू आर टी वाहन (22 लाख रु.) और 01 मोटरसाइकिल (0.55 लाख रु.)	3055000.00	प्रत्येक	**3055000.00**	**427700000.00**
	जोड़				**1292586000.00**

अर्थात् 129.25 करोड़ रु.

संलग्नक 'ड.'

विविध जोखिम प्रवण जिलों के लिए उपकरण की सूची

क) बचाव/प्रशिक्षण उपकरण

क्र0 सं0	उपकरण का विवरण	यूनिट	दर/ यूनिट (रु.)	मात्रा/ किट	खर्च/ किट (रु.)
1.	गोलाकार आरा -जिसके डायमंड ब्लेड हों (01) और अपघर्षी ब्लेड (01) हो: पेट्रोल से चलने वाला, 355 मि0मी0, मॉडल टी एस 400-5460rpm, 6hhp, 9.5कि0ग्राम वजन का	कृपया	आंकड़े	मूल से	देखें ।
2.	गोलाकार आरे के लिए अपघर्षी ब्लेड - अतिरिक्त				
3.	बुलेट चेन सॉ, पेट्रोल से चलने वाला, मॉडल एम एस 460R, 20 इंच का ब्लेड, 4.4bhp, 7.5 कि0ग्रा0 वजन				
4.	चेन फिलिंग किट				
5.	आरे के लिए अतिरिक्त चेन				

6.	द्रवचालित जैक -10टन	कृपया	आंकड़े	मूल से	देखें ।
7.	दो बैटरी वाला हाथ में पकड़ी जाने वाली सर्च लाइट रिचार्ज युक्त				
8.	लैडर टेलीस्कोपिक 32 फुट - डबल एक्सटेंशन के साथ - हिंडालको सी सेवा ऐलुमिनियम से बनी				
9.	अर्धस्थैतिक रोप कर्वमेंटल - 100 मीटर, 11 मि0मी0 व्यास				
10.	सी ई के अनुसार अनुमोदित समायोज्य सीट हार्नेस, ई एन 12277, टाइप सी/यू आई ए ए, 105, 500 ग्राम वजन				
11.	पीअर शेप्ड स्क्रू केराबिनर, ई एन 362, श्रेणी B, ई एन 12275, बी एंड एच/यू आइर ए ए, भंजन क्षमता 22KN				
12.	02 केराबिनर के साथ क्विक ड्रॉ, ई एन 12275 बी/यू आई ए ए, भंजन क्षमता 22KN				
13.	स्टॉय लॉक डिसेंडिंग, सी ई ई एन 341,				

	10-12मि0मी0 कर्नमेंटल रस्सी के साथ इस्तेमाल के लिए श्रेणी क, 325 ग्राम वजन				
14.	गिरि-गिरि मैनुअल, 10-12 मि0मी0 एकल रस्सी के साथ इस्तेमाल के लिए सेल्फ ब्रेकिंग बिले यंत्र सी ई प्रमाणित , 225ग्राम वजन	कृपया	आंकड़े	मूल से	देखें ।
15.	पुली टेन्डम, सी ई ई एन 12278/यू आई ए ए अनुमोदित । भंजन क्षमता 24KN, 195 ग्राम वजन				
16.	स्थायी पुली (एकल पुली) ई एन 12278/यू आई ए ए अनुमोदित । भंजन क्षमता 22KN, 90 ग्राम वजन				
17.	फुट टेथ स्लिंग 150 सें0मी0, समायोज्य नाइलोन वेबिंग फुट लूप, 75 ग्राम वजन				
18.	फुट टेप स्लिंग 120 सें0मी0				
19.	अस्सेंडर मैनुअल - बाएं और दाएं -सी ई ई एन प्रमाणन 567 एन एफ पी पी ए 1983				

	एल सी ई ई एन 12841 टाइप बी, 8-10मि0मी0 व्यास की रस्सी के साथ इस्तेमाल के लिए उपयुक्त, 195 ग्राम वजन				
20.	लकड़ी के हैंडल के साथ 7.5 कि0ग्रा0 वजन का स्लैज हैमर	कृपया	आंकड़े	मूल से	देखें ।
21.	कुल्हाड़ी (पायर एक्स) 2.5 फुट कार्बन स्टील निर्मित				
22.	फावड़ा				
23.	शॉविल - डी हैंडल, 10 इंच				
24.	कुदाल, 5 फुट कार्बन स्टील निर्मित				
25.	स्ट्रेचर केनवास फ्लोडिंग				
26.	120कि0ग्रा0 की भार वहन क्षमता वाला स्ट्रेचर फाइबर, वजन 7.5कि0ग्रा0				
27.	बी ए सेट (कार्बन कंपोजिट सिलिंडर के साथ सी बी आर एन मास्क, कार्य समय 45 मिनट, पेयजल पोर्ट और पानी की बोतल के साथ, पूरी तरह से भरे हुए पोर्ट का अधिकतम वजन 11.5 कि0ग्रा0				

28.	बचाव कुर्सी -ऊर्ध्वाधर आरोह-अवरोह के लिए हार्नेस कुर्सी	कृपया	आंकड़े	मूल से	देखें ।
29.	घूर्णन हथौड़ा ड्रिल, मॉडल PH65A, 1240 वाट, 1400rpm, संघात दर न्यूनतम 39.5j,वजन अधिकतम 15 कि0ग्रा0				
30.	न्यूनतम 5 म0मी0 व्यास के पी पी रस्से के स्टैंड डबल ट्वन सेफ्टी नेट के साथ फाल अरेक्ट सेफ्टी नेट, जाली का आकार अधिकतम 12 मि0मी0, न्यूनतम 12 मि0मी0 व्यास का बोर्डर रोप जिसे लोहे के स्टैंड पर बांधा जा सकता है ।				
31.	सुवाह्य जनरेटर सेट 2800 वाट				
32.	मेगा फोन - शोल्डर स्लिंग टाइप				
33.	न्यूनतम 2.6 टन की कर्षण क्षमता और न्यूनतम 1.6 टन की उत्तोलन क्षमता वाला कम एलोंग				
34.	न्यूनतम 120 फुट ऊर्ध्वाधर और 200फुट क्षैतिज दिशा में 1-12 मि0मी0 व्यास की				

	रस्सी फैंकने में सक्षम रोप डिलीवरी गन				
35.	दो हैलोजन लैंप और 4 मि0मी0 व्यास की विद्युत तार के साथ सूक्ष्मदर्शी स्टैंड, 100 मीटर लंबाई	कृपया	आंकड़े	मूल से	देखें ।
36.	विद्युतरोधी शैफ्ट के साथ रोल प्रूनर सूक्ष्मदर्शी, 5 मीटर तक की ऊंचाई काटने में सक्षम 10ईंच व्यास तक की शाखाएं काटने में सक्षम और वजन अधिकतम 7.5 कि0ग्रा0				
37.	सी पी आर मैनकिन (टोर्सो)				
	उप जोड़ (क)				

ख) <u>कार्मिकों के सुरक्षा उपकरण और कपड़े</u>

क्र0 सं0	उपकरण का विवरण	यूनिट	दर/ यूनिट (रु.)	मात्रा/ किट	खर्च/ किट (रु.)
1.	परावर्तक (रिफलेक्टिव) आई डी जैकेट - फ्लरोरोसेंट ऑरेंज रंग की	कृपया	आंकड़े	मूल से	देखें ।
2.	जीवन रक्षी जैकेट (प्रतिबिबित पैनल और सी डी लोगो के साथ)				
3.	हाथ के दस्ताने - हैवी ड्यूटी				
4.	बिना ऊंगलियों के दस्ताना (मिटन)				
5.	ठोड़ी के फीते सहित किंतु अग्रभाग रहित सुरक्षा हेलमेट - सफ आर पी (औद्योगिक ग्रेड)				
6.	ठोड़ी के फीते और अग्रभाग सहित सुरक्षा हेलमेट एफ आर पी (औद्योगिक ग्रेड)				
7.	ठोड़ी के फीते सहित सुरक्षा हेलमेट एफ आर पी (औद्योगिक ग्रेड) । एल ई डी लाइट युक्त किंतु अग्रभाग रहित				
8.	अनुमोदित डिस्पोजेबल फेस मास्क N95	कृपया	आंकड़े	मूल से	देखें ।
9.	बी ए सेअ वाले फायर एंट्री सूट के साथ				

	जिस कार्बन कंपोजिट सिलिंडर तथा सी वी आर एन मास्क भी हो ।				
10.	कंबल				
11.	रीचार्ज की जा सकने वाली सुरक्षा टार्च				
12.	मजबूत पंजे का जूता, स्टील शैंक				
13.	घुटने के पैड				
	उप जोड़ (ख)				

ग) <u>श्रव्य - दृश्य उपकरण</u>

क्र0 सं0	उपकरण का विवरण	यूनिट	दर/ यूनिट (रु.)	मात्रा/ किट	खर्च/ किट (रु.)
1.	यू पी एस के साथ कंप्यूटर डेस्कटॉप	कृपया	आंकड़े	मूल से	देखें ।
2.	4 नं- के स्थायी मार्कर पेन (लाल, नीला, हरा और काला) के साथ 6 फुट 4 फुट का सफेद बोर्ड				
3.	स्टैंड के साथ व्हाइट स्क्रीन फोल्डिंग मैनुअल				
	उप जोड़ (ग)				

सकल जोड़= उप जोड़ (क) + उप जोड़ (ख) + उप जोड़ (ग)=

संलग्नक 'च'

एम एच डी और एम पी डी के लिए

मूलभूत जीवन रक्षी उपकरणों की सूची

क्र0 सं0	उपकरण का विवरण	यूनिट	दर/ यूनिट (रु.)	मात्रा/ किट	खर्च/ किट (रु.)
1.	स्टेथोस्कोप	कृपया	आंकड़े	मूल से	देखें ।
2.	बी पी उपकरण, डिजिटल				
3.	बी पी उपकरण, पारा				
4.	सहायक उपस्करों सहित कम वजन का ऑक्सीजन सिलिंडर 680L (ऑक्सीडोज)				
5.	डिजिटल थर्मामीटर				
6.	कर्णदर्शी और नासिक स्पेक्युलन				
7.	ऑटोक्लेव				
8.	सक्शन यूनिट के सहायक उपस्कर (मैनुअल)				
9.	वयस्क के लिए बैग बाल्ब मास्क (सिलिकॉन स्टीम ऑटोक्लेवेबल)				

10.	बैग वाल्व मास्क (बच्चों का)(सिलिकॉन)				
11.	बैग वाल्व मास्क (शिशुओं का)(सिलिकॉन)				
12.	बंध्यीकरण ड्रम				
13.	टॉर्च				
14.	ग्लूकोमीटर				
15.	डिलीवरी सेट				
16.	SS ढक्कन (लिड) वाली ट्रे				
17.	SS ढक्कन (लिड) वाली ट्रे				
18.	सिजर्स शॉप				
19.	सिजर्ज टिशू कटिंग				
20.	सिजर्ज सूचर कटिंग				
21.	आर्टरी फारसेप्स स्ट्रेट				
22.	आर्टरी फारसेप्स कर्व्ड				
23.	टिशू होल्डिंग फारसेप्स				
24.	स्पांज होलिंग फारसेप्स				
25.	चीटर्स फारसेप्स				
26.	साइन फारसेप्स				
27.	स्टेललैस स्टील का बेसिन (बड़ा)				

28.	स्टेललैस स्टील का बेसिन (माध्यम आकार का)				
29.	किडनी ट्रे SS				
30.	यूरिन कैन SS				
31.	बाउल SS छोटा				
32.	बी पी हैंडल				
33.	सहायक उपकरण युक्त स्ट्रेचर				
34.	लैरिंगोस्कोप				
35.	रीफलैक्स हैमर				
36.	नष्ट होने वाली दवाईयां/शल्य चिकित्सा/ प्रयोगशाला की मदें				

सकल जोड़

अर्थात्

ऐंबुलेंस +

जोड़ =

अर्थात् 8 लाख रु. :

संलग्नक 'छ'

विद्यमान 100 आपदा प्रवण जिलों की सूची

क्रम सं0	राज्य	जिला
1.	आंध्र प्रदेश	विशाखापट्टनम
2.	असम	बोगाईगांव
3.	असम	दांरग
4.	असम	डिबरुगढ़
5.	असम	गोलाघाट
6.	असम	जोरहाट
7.	असम	काबरी एंगलोंग
8.	असम	काकराभार
9.	असम	तिनसुकिआ
10.	बिहार	बेगुसराय
11.	बिहार	कटिहार
12.	बिहार	पटना
13.	बिहार	पुरनिआ

14.	दिल्ली	उत्तर पूर्वी दिल्ली
15.	दिल्ली	दक्षिण दिल्ली
16.	गोवा	उत्तरी गोवा
17.	गोवा	दक्षिणी गोवा
18.	गुजरात	अहमदाबाद
19.	गुजरात	बहरुच
20.	गुजरात	डॉग्स
21.	गुजरात	गांधीनगर
22.	गुजरात	जामनगर
23.	गुजरात	कच्छ
24.	गुजरात	महसाना
25.	गुजरात	नर्मदा
26.	गुजरात	नवसारी
27.	गुजरात	सूरत
28.	गुजरात	वडोदरा
29.	हरियाणा	अंबाला
30.	हरियाणा	फरीदाबाद
31.	हरियाणा	गुड़गांव

32.	हरियाणा	हिसार
33.	हरियाणा	झज्जर
34.	हिमाचल प्रदेश	शिमला
35.	जम्मू और कश्मीर	अनंतनाग
36.	जम्मू और कश्मीर	बडगाम
37.	जम्मू और कश्मीर	बारामुल्लाह
38.	जम्मू और कश्मीर	डोडा
39.	जम्मू और कश्मीर	जम्मू
40.	जम्मू और कश्मीर	करगिल
41.	जम्मू और कश्मीर	कुनवाड़ा
42.	जम्मू और कश्मीर	लेह
43.	जम्मू और कश्मीर	पूंछ
44.	जम्मू और कश्मीर	फुलवाना
45.	जम्मू और कश्मीर	राजौरी
46.	जम्मू और कश्मीर	श्रीनगर
47.	जम्मू और कश्मीर	ऊधमपुर
48.	झारखंड	गोड्डा
49.	झारखंड	साहिबगंज

50.	महाराष्ट्र	मुंबई
51.	महाराष्ट्र	रायगढ़
52.	महाराष्ट्र	रतनागिरि
53.	महाराष्ट्र	सिंधु दुर्ग
54.	महाराष्ट्र	थाणे
55.	उड़ीसा	बालेश्धर (बालासोर)
56.	उड़ीसा	भद्रक
57.	उड़ीसा	धीनकनाल
58.	उड़ीसा	जगतसिंहपुर
59.	उड़ीसा	केंद्रपाड़ा
60.	पंजाब	अमृतसर
61.	पंजाब	भटिंडा
62.	पंजाब	फरीदकोट
63.	पंजाब	फिरोजपुर
64.	पंजाब	गुरदासपुर
65.	पंजाब	होशियारपुर
66.	पंजाब	जालंधर
67.	पंजाब	लुधियाना

68.	पंजाब	पटियाला
69.	पंजाब	रोपड़
70.	पंजाब	संगरुर
71.	राजस्थान	अल्वर
72.	राजस्थान	बारमेड़
73.	राजस्थान	जालोर
74.	तेलंगाना	हैदराबाद
75.	उत्तर प्रदेश	आगरा
76.	उत्तर प्रदेश	इलाहाबाद
77.	उत्तर प्रदेश	बागपत
78.	उत्तर प्रदेश	बरेली
79.	उत्तर प्रदेश	बुलंदशहर
80.	उत्तर प्रदेश	गाजियाबाद
81.	उत्तर प्रदेश	गोरखपुर
82.	उत्तर प्रदेश	झांसी
83.	उत्तर प्रदेश	कानपुर (नगर)
84.	उत्तर प्रदेश	लखनऊ
85.	उत्तर प्रदेश	मथुरा

86.	उत्तर प्रदेश	मेरठ
87.	उत्तर प्रदेश	मुरादाबाद
88.	उत्तर प्रदेश	मुज्जफ्फरपुर
89.	उत्तर प्रदेश	सहारनपुर
90.	उत्तर प्रदेश	वाराणसी
91.	पश्चिम बंगाल	बर्धमान
92.	पश्चिम बंगाल	बीरभूम
93.	पश्चिम बंगाल	दार्जिलिंग
94.	पश्चिम बंगाल	पूर्वी मेदनीपुर
95.	पश्चिम बंगाल	हावड़ा
96.	पश्चिम बंगाल	हुगली
97.	पश्चिम बंगाल	जलपाईगुड़ी
98.	पश्चिम बंगाल	कोलकाता
99.	पश्चिम बंगाल	मुर्शिदाबाद
100.	पश्चिम बंगाल	पश्चिमी मेदनीपुर

संलग्नक 'ज'

240 जिलों में आपदा प्रबंधन में सामुदायिक भागीदारी

(संलग्नक 'ग' और संलग्नक 'छ' के अनुसार संलग्नक'

रुपयों में

क्रम सं.	कार्यकलाप	दर/ कार्यक्रम	प्रति एम एच डी/वर्ष कार्यक्रम	खर्च/एम एच डी वर्ष	4वर्ष की कुल लागत/ एम एच डी	240 एम एच डी के लिए कुल राशि
1.	प्रशिक्षण शिविर (बेसिक सिविल रक्षा प्रशिक्षण					
2.	विद्यार्थियों के लिए आपदा अनुक्रिया कार्यक्रम					
3.	मॉक ड्रिल					
4.	प्रदर्शन	कृपया	आंकड़े मूल	से देखें ।		
5.	प्रदर्शनियॉ					
6.	रैलियॉ					
7.	पैंटिंग प्रतियोगिता					
8.	नुक्कड़ नाटक					

9.	विशेष कार्यक्रम जैसे आपदा दिवस, सिविल रक्षा दिवस, आतंकवाद रोधी दिवस आदि					
10.	आई ई सी सामग्री स्थानीय भाषा में अनुवाद और पुनर्मुद्रण					
	सकल जोड़	अर्थात् 117.47 करोड़ रु.				

संलग्नक 'ज'

क्षमता निर्माण

क) विदेश में स्थित संस्थाओं में प्रशिक्षणार्थियों का प्रशिक्षण

(रु. में)

क्रम सं.	विवरण	प्रति पाठ्यक्रम खर्च	पाठ्यक्रमों की संख्या	कुल खर्च
1.	प्रति पाठ्यक्रम 20 प्रशिक्षार्थियों के लिए एक सप्ताह का एन आई डी एम/एन सी डी सी में बेसिक प्रशिक्षण	**कृपया आंकड़े**	**मूल से देखें ।**	
2.	प्रति पाठ्यक्रम 20 प्रशिक्षणार्थियों के लिए 2 सप्ताह का जर्मनी/सिंगापुर/यू.के./नीदरलैंड में सिविल रक्षा प्रशिक्षण (विमान का किराया, आवास और खाना पीना और पाठ्यक्रम की फीस सहित)			
	जोड़			

ख) <u>सिविल रक्षा स्टाफ और अधिकारियों के ज्ञानवर्धक</u>

क्रम सं.	विवरण	प्रति दौरा खर्च	दौरों की संख्या	कुल खर्च
1.	सरकारी अधिकारियों और सिविल रक्षा स्टाफ के ज्ञानवर्धक दौरे	एकमुश्त	5	5000000.00
		जोड़		5000000.00

ग) 240 जिलों के लिए प्रति जिला 175 प्रशिक्षार्थियों की कदकर से छः दिवसीय सामुदायिक/सी डी स्वंयसेवी प्रशिक्षण

क्रम सं.	**विवरण**	**दर/प्रति व्यक्ति प्रति पाठ्यक्रम**	**कार्मिकों की संख्या**	**कुल खर्च**
1.	प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 150रु. की दर से आवास और भोजन भत्ता	**कृपया आंकड़े**	**मूल से**	**देखें ।**
2.	प्रति व्यक्ति प्रति दिन 200 रु. की दर से प्रशिक्षण भत्ता			
3.	प्रति व्यक्ति प्रति दिन 400रु. की दर से प्रशिक्षक (एक प्रशिक्षक) को मानदेय			
	जोड़			
	सकल जोड़			
				अर्थात् 16 करोड़ रु.

संलग्नक ‘ ’

स्कीम का नाम: आपदा जोखिम को कम करने के लिए
सिविल रक्षा को मुख्य धारा से जोड़ना
राज्य/संघ राज्यक्षेत्र वार अस्थायी निधि का आबंटन

लाख रु. में

क्रम सं.	राज्य	सी डी/टी आई को मजबूत बनाना	140 सर्वाधिक/ जोखिम प्रवण जिलों में सी डी स्थापना का सृजन		100विविध/ आपदा प्रभावित जिलों में सी डी स्थापना को मजबूत बनाना		240 जिलों में (140 एम वी डी और 100 एम एच डी) सामुदायिक भागीदारी		240 जिलों में प्रशिक्षण	कुल आबंटन
		कुल आबंटन (प्रति सी डी टी आई 27 लाख रु. की दर से)	एम पी डी की संख्या	कुल आबंटन (प्रति एम पी डी 92.32 लाख रु.)	एम एच डी की संख्या	कुल आबंटन (प्रति एम एच डी 8 लाख रु.)	कुल जिले	कुल आबंटन (प्रति जिला 48.94 लाख रु. की दर से)	कुल जिले	कुल आबंटन (प्रति जिला 3.88 लाख रु. की दर से)
1.	आंध्र प्रदेश				**कृपया**	**आंकड़े**	**मूल**	**से**	**देखें ।**	
2.	अरुणाचल प्रदेश									

3.	असम				**कृपया**	**आंकड़े**	**मूल**	**से**	**देखें ।**	
4.	बिहार									
5.	छत्तीसगढ़									
6.	गोवा									
7.	गुजरात									
8.	हरियाणा									
9.	हिमाचल प्रदेश (किराए पर)									
10.	जम्मू और कश्मीर									
11.	झारखंड									
12.	कर्नाटक									
13.	केरल									
14.	मध्य प्रदेश (किराए पर)									
15.	महाराष्ट्र									
16.	मणिपुर									

17.	मेघालय									
18.	मिजोरम									
19.	नागालैंड									
20.	उड़ीसा									
21.	पंजाब (किराए पर)									
22.	राजस्थान									
23.	सिक्किम									
24.	तमिलनाडु									
25.	तेलंगाना									
26.	त्रिपुरा									
27.	उत्तर प्रदेश									
28.	उत्तराखंड									
29.	पश्चिम बंगाल विधान सभा वाले संघ राज्यक्षेत्र									
30.	दिल्ली									

31.	पुड्डुचेरी बिना विधान सभा वाले संघ राज्यक्षेत्र									
32.	अंडमान और निकोबार									
	जोड कुल परियोजना लागत परिव्यय 290.89 करोड़ रु. राज्यों के लिए आबंटन 271.06 करोड़ रु. डी जी सी डी आबंटन 19.83 करोड़ रु.									

सं. 32-3/2013- एन डी एम-।

भारत सरकार

गृह मंत्रालय

(आपदा प्रबंधन प्रभाग)

‘ सी’ विंग, तीसरी मंजिल,

एन डी सी सी - I,

जय सिंह रोड,

नई दिल्ली-110001

28 नवंबर, 2013

सेवा में,

1. सभी राज्यों के मुख्य सचिव
2. राहत आयुक्त/सचिव, सभी राज्यों के आपदा प्रबंधन विभाग

विषय: वर्ष 2010-2015 के लिए राज्य आपदा अनुक्रिया निधि (एस डी आर एफ) और राष्ट्रीय आपदा अनुक्रिया निधि (एन डी आर एफ) से सहायता की मदें और मानदंड

महोदय/महोदया,

मुझे अभिनिर्दिष्ट प्राकृतिक आपदाओं के परिणामस्वरुप एस डी आर एफ/एन डी आर एफ से सहायता संबंधी संशोधित मदें और मानदंड की सूची

अग्रेषित करने के संबंध में इस मंत्रालय कादि. 21 नवंबर, 2013 का पत्र सं. 32-3/2012-एन डी एम - । का हवाला देने का निदेश हुआ है ।

2. अब यह निर्णय लिया गया है कि क्रम सं. 9 (क) अर्थात् पूरी तरह से क्षतिग्रस्त कच्चे घर (ख) गंभीर रुप से क्षतिग्रस्त पक्के/कच्चे घर (ग) आंशिक रुप से क्षतिग्रस्त पक्के/कच्चे घर (घ) क्षतिग्रस्त/नष्ट हुई झौपड़ियों और ड.) घरों के साथ ही बने पशु शेड, के संबंध में मानदंडों में और अधिक संशोधन किया जाए । इसी प्रकार, पहाड़ी क्षेत्रों में अथवा समन्वित कार्य योजना (आई ए पी) के जिलों में पूरी तरह से क्षतिग्रस्त पक्के घरों के संबंध में मानदंडों में संशोधन किया गया है ।

3. जैसा कि ऊपर उल्लिखित है ये संशोधित मानदंड 24 अक्तूबर, 2013 से लागू होंगे । संशोधित मदों और मानदंडों को आपदा प्रबंधन प्रभाग, गृह मंत्रालय की वेबसाइट www.ndminadia.nic.in से डाउनलोड किया जा सकता है ।

4. तदनुसार अभिनिर्दिष्ट प्राकृतिक आपदा के परिणामस्वरुप एस डी आर एफ/एन डभ् आर एफ की आशोधित/संशोधित मदों और मानदंडों की प्रति संलग्न है ।

5. यह पत्र इस मंत्रालय के इस विषय पर पूर्ण पत्र सं. 32-3/2013-एन डी एम-। दि. 21 जून, 2013 को प्रतिस्थापित करता है ।

भवदीय,

ह0/-

(गौतम घोष)

उप सचिव, भारत सरकार,

टेलीफैक्स : 23428123

संलग्नक: उपरोक्त अनुसार

सूचनार्थ और आवश्यक अनुवर्ती कार्रवाई के लिए प्रतिलिपि:

1. सभी राज्य सरकारों के महालेखाकार ।
2. नियंत्रक महालेखापरीक्षक (सी ए जी), नई दिल्ली
3. महा लेखा नियंत्रक (सी जी ए), नई दिल्ली
4. सभी राज्य सरकारों के आवास आयुक्त ।

प्रतिलिपि:-

1. सचिव, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, एन डी एम ए भवन, सफदरजंग एन्कलेव, नई दिल्ली ।
2. वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग (श्री राजीव कुमार, संयुक्त सचिव (पी एफ-I), नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली
3. कृषि मंत्रालय [संयुक्त सचिव (डी एम)], कृषि भवन, नई दिल्ली ।
4. योजना आयोग [संयुक्त सचिव (एस पी)], योजना भवन, नई दिल्ली ।
5. केंद्र सरकार के सभी संबंधित मंत्रालय/विभाग/संगठन
6. प्रधानमंत्री कार्यालय/मंत्रीमंडल सचिवालय
7. गृह मंत्री का निजी सचिव/राज्य मंत्री (आर) का निजी सचिव
8. वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव, गृह सचिव/सचिव (सी. सुरक्षा)(बी एम)/संयुक्त सचिव (डी एम/एन आई सी) ।

राज्य आपदा अनुक्रिया निधि (एस डी आर एफ) और राष्ट्रीय आपदा अनुक्रिया निधि (एन डी आर एफ) से सहायता की मदें और मानदंडों की संशोधित सूची

अवधि 2010-15, गृह मंत्रालय का दिनांक 16 जनवरी, 2012 का पत्र सं. 32-7/2011-एन डी एम -I देखें, दिनांक 21 जून 2013, 28 नवंबर, 2013 का आशोधित पत्र सं. 32-3/22013-एन डी एम-I देखें)

क्रम सं.	मद	सहायता के मानदंड
1.	**मृत व्यक्तियों के परिवारों को अनुग्रह अदायगी**	प्रति मृत व्यक्ति 1.50लाख रु. इसमे राहत कार्यों और तैयारी सबंधी कार्यों से जुड़े व्यक्ति भी शामिल हैं, बशर्ते कि उपयुक्त प्राधिकारी से मृत्यु का कारण सबंधी प्रमाणन प्राप्त हो जाए - यदि किसी भारतीय नागरिक को विदेश में अधिसूचित प्राकृतिक आपदा के कारण मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार को इस राहत का भुगतान नहीं किया जाएगा । - यदि किसी विदेशी नागरिक की भारत के क्षेत्र के अंदर अधिसूचित प्राकृतिक आपदा के कारण मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार को भी इस राहत राशि का भुगतान नहीं किया जाएगा ।

ख)	शरीर का कोई अंग या आंख (आंखों) खो देने पर अनुग्रह भुगतान	यदि अशक्तता 40% और 80% के बीच है तो प्रति व्यक्ति 43,500रु. यदि अशक्तता 80% से अधिक है तो प्रति व्यक्ति 62,000रु. बशर्ते कि अशक्तता की सीमा और कारण के सबंध में सरकारी अस्पताल अथवा औषधालय के चिकित्सक ने प्रमाणीकरण किया हो ।
ग)	गंभीर चोट जिसमें अस्पताल में भर्ती होना पड़ा हो	एक सप्ताह से अधिक समय तक अस्पताल में भर्ती रहने पर प्रति व्यक्ति 9300रु. एक सप्ताह से कम समय के लिए अस्पताल में भर्ती रहने वाले व्यक्तियों को प्रति व्यक्ति 3100रु.
घ)	ऐसे परिवारों के लिए कपड़े और बरतन/घरेलू सामान, जिनके घर प्राकृतिक आपदा में पूरी तरह से बह गए/पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए/ एक सप्ताह से अधिक समय तक पूरी तरह बाढ़ में डूबे रहे ।	कपड़ों की हानि होने पर प्रति व्यक्ति 1300रु. बरतन/घरेलू सामान की हानि होने पर प्रति परिवार 1400रु.

ड.)	आपदा के तुरंत बाद भरण-पोषण की अत्यधिक आवश्यकता वाले परिवारों के लिए अनुग्रहिक राहत आनुग्रहिक राहत उन परिवारों को उलब्ध कराई जाएगी जिनके पास खाद्य पदार्थों का संचय नहीं है अथवा जिनके संचित खाद्य पदार्थ आपदा में पूरी तरह से नष्ट हो गए हैं और जिनके पास तत्काल सहायता का कोई अन्य स्रोत नहीं है ।	राहत शिविरों में न रहने वाले लोगो के लिए प्रति व्यस्क 40रु. और प्रति शिशु 30रु. । राज्य सरकार यह प्रमाणित करेगी कि i) इन व्यक्तियों के पास संचित खाद्य पदार्थ नहीं हें अथवा इनके संचित खाद्य पदार्थ आपदा में पूरी तरह से नष्ट हो गए हैं, और ii) निर्धारित लाभार्थी राहत शिविरों में नहीं रह रहे हैं । और राज्य सरकार जिला-वार ऐसे लाभार्थियों तक पहुंचने के लिए आधार और प्रक्रिया उपलब्ध करवाएगी । अनुग्रहिक राहत उपलब्ध कराने की अवधि राज्य कार्यकारी समिति (एस ई सी) और केंद्रीय टीम (एन डी आर एफ के मामले में) के आकलन के अनुसार होगी । सहायता की डिफाल्ट अवधि 30 दिन तक होगी जिसे पहली बार 60 दिनों तक बढ़ाया जा सकता है और बाद में सूखा पड़ने/कीट-आक्रमण होने पर इसे 90 दिन तक बढ़ाया जा सकता है ।
2.	**<u>तलाशी और बचाव कार्य</u>**	
क)	तलाशी और बचाव कार्य संबंधी	किए गए वास्तविक खर्च जो एस ई सी द्वारा

	उपायों/प्रभावित लोगो को/ प्रभावित हो सकने वालों लोगों को आपदा वाली जगह से हटाने का खर्च	आकलित और केंद्रीय टीम द्वारा (एन डी आर एफ के मामले में) संस्तुत हों - जब तक केंद्रीय टीम प्रभावित क्षेत्र का दौरा करने आती है, तलाशी और बचाव कार्य पूरे हो गए होते हैं । इसलिए, राज्य स्तर की समिति और केंद्रीय टीम वास्तविक/लगभग वास्तविक खर्च की सिफारिश कर सकती है ।
ख)	तत्काल राहत पहुंचाने और लोगों को बचाने के लिए नौकाएं किराए पर लेना ।	एस ई सी द्वारा आकलित और केंद्रीय अम द्वारा (एन डी आर एफ के मामले में) वास्तविक खर्च । सहायता की राशि किराए पर नौकाएं लेने और आपदा में फंसे लोगों को बचाने और एतद् द्वारा अभिनिर्धारित प्राकृतिक आपदा के दौरान लोगों की जिंदगी बचाने के लिए अपेक्षित अनिवार्य उपकरणों पर हुए वास्तविक व्यय तक सीमित होगी ।
3.	**<u>राहत संबंधी उपाय</u>**	
क)	प्रभावित/हटाए गए लोगो और राहत शिविरों में रहने वाले	एस ई सी द्वारा जरुरत के आकलन और केंद्रीय टीम (एन डीआर एफ के मामले में) की सिफारिश

	लोगों के लिए अस्थायी आवास, भोजन, कपड़ा, चिकित्सा देखभाल आदि उपलब्ध कराना ।	के अनुसार 30 दिन की अवधि के लिए एस ई सी को शिवों की संख्या, उनकी अवधि और शिविरों में व्यक्तियों की संख्या का उल्लेख करना जरुरी होगा । प्राकृतिक आपदा जैसे सूखा या भूकंप या बाढ़ आदि के कारण व्यापक विनाश के जारी रहने की स्थिति में यह अवधि 60 दिन तक बढ़ाई जा सकती है और भीषण सूखे की स्थिति में 90 दिन तक बढ़ाई जा सकती है । राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एन आर एच एम) से चिकित्सा देखरेख की व्यवस्था करवाई जा सकती है ।
ख)	अनिवार्य वस्तुओं को विमान से फेंकना	एस ई सी द्वारा जरुरत के आकलन और केंद्रीय टीम (एन डी आर एफ के मामले में) की सिफारिश के आधार पर वास्तविक खर्च के अनुसार । - सहायता की राशि केवल अनिवार्य वस्तुओं को विमान से फेंकने और बचाव कार्यों के लिए रक्षा मंत्रालय द्वारा बिलों में प्रस्तुत वास्तविक

		राशि तक सीमित होगी ।
ग)	ग्रामीण क्षेत्रों और शहरी क्षेत्रों में आपात स्थिति में पेयजल की आपूर्ति की व्यवस्था	एस ई सी द्वारा जरुरत के आकलन और केंद्रीय टीम द्वारा (एन डी आर एफ के मामले में) की गई सिफारिश के आधार पर वास्तविक खर्च के अनुसार 30 दिन तक और सूखे की स्थिति में 90 दिन तक बढ़ाया जा सकता है ।
4. क)	**<u>प्रभावित क्षेत्रों की सफाई</u>** सार्वजनिक क्षेत्रों से मलबा हटाना	एस डी आर एफ के तहत प्रदान की जाने वाली सहायता के लिए एस ई सी द्वारा जरुरत के आकलन के आधार पर और एन डी आर एफ के तहत प्रदान की जाने वाली सहायता के लिए केंद्रीय टीम के आकलन के अनुसार कार्य शुरु करने की तारीख से 30 दिन के अंदर वास्तविक खर्च के अनुसार ।
ख)	प्रभावित क्षेत्रों से बाढ़ का पानी निकालना	एस डी आर एफ के तहत प्रदान की जाने वाली सहायता के लिए एस ई सी द्वारा जरुरत के आकलन के आधार पर और केंद्रीय टीम (एन डी आर एफ के मामले में) के आकलन के अनुसार कार्य शुरु करने की तारीख से 30 दिन के अदर

		वास्तविक खर्च के अनुसार ।
ग)	शवों/कंकाल को ठिकाने लगाना	एस ई सी द्वारा जरुरत के आकलन और केंद्रीय टीम (एन डी आर एफ के मामले में) की सिफारिश के आधार पर वास्तविक खर्च के अनुसार ।
5.	**<u>कृषि</u>**	
i)	छोटे और बहुत छोटे किसानों के लिए सहायता	
क.	भूमि और अन्य प्रकार की हानि के लिए सहायता	
क)	कृषि भूमि की गाद हटाना (जहॉ राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी ने यह प्रमाणित किया हो कि जमा रेत/गाद 3" से अधिक मोटी है ।	प्रत्येक मद के लिए प्रति हेक्टेयर 8100/-रु.

ख) ग)	पर्वतीय क्षेत्रों में कृषि भूमि से कचरा हटाना गाद हटाना/मछली फार्म का नवीकरण/मरम्मत	(इस शर्त पर कि लाभार्थी ने किसी अन्य सरकारी स्कीम के तहत कोई अन्य सहायता/सब्सिडी प्राप्त नहीं की है/प्राप्त करने का पात्र नहीं है)
घ)	भूस्खलन, हिमस्खलन, नदी का रास्ता बदलने के कारण भूमि के काफी बड़े भाग को नुकसान पहुंचना	केवल उन छोटे और बहुत छोटे किसानों के लिए 25,000रु. प्रति हेक्टेयर जिनका राजस्व रिकार्ड के अनुसार भूमि का स्वामित्व विधिसम्मत है ।
ख)	इनपुट सब्सिडी (जहां फसल की हानि 50% और उससे अधिक हुई है)	वर्षा प्रधान क्षेत्रो में 4500रु. प्रति हेक्टेयर और यह बुलाइर वाले क्षेत्रो तक सीमित है ।
क)	कृषि फसलों, उद्यान कृषि फसलों और वार्षिक बागान फसलों के लिए	सुनिश्चित सिंचाई क्षेत्रों में 9000रु. प्रति हेक्टेयर किंतु न्यूनतम सहायता 750रु. से कम नहीं होगी और यह बुआई वाले क्षेत्रों तक सीमित होगी ।
ख)	बारहमासी फसलें	सभी प्रकार की बारहमासी फसलों के लिए 12,000रु. प्रति हेक्टेयर किंतु न्यूनतम सहायता राशि कम-से-कम 1500रु. होगी ओर यह बुआई वाले क्षेत्रों तक सीमित होगी ।

ग)	रेशम उत्पादन	एरि,शहतूत, टसर के लिए 3200रु. प्रति हेक्टेयर मूगा के लिए 4000रु. प्रति हेक्टेयर
ii)	छोटे और बहुत छोटे किसानों से भिन्न किसानों के लिए इनपुट सब्सिडी	वर्षा प्रधान क्षेत्रों में 4500रु. प्रति हेक्टेयर और यह बुआई वाले क्षेत्रों तक सीमित है । - सुनिश्चित सिंचाइर वाले क्षेत्रों के लिए 9000रु. प्रति हेक्टेयर है और यह बुआई वाले क्षेत्रों तक सीमित ह । - सभी प्रकार की बारहमासी फसलों के लिए 12,000रु. प्रति हेक्टेयर है और यह बुआई वाले क्षेत्रों तक सीमित है । - जहां सस्य हानि 50% और उससे अधिक हो वहां सहायता दी जाएगी किंतु अधिकतम सहायता प्रति किसान 1 हेक्टेयर तक दी जाएगी और जोत क्षेत्र का आकार चाहे कितना भी क्यों न हो । उसके बाद होने वाली आपदाओं की स्थिति में प्रति किसान 2 हेक्टेयर तक होगी ।

6.	**<u>पशु पालन-छोटे और बहुत छोटे किसानों को सहायता</u>**	
i)	दुधारु पशुओं, भारवाही पशुओं अथवा बोझा ढोने के लिए इस्तेमाल में आने वाले पशुओं को बदलना	**<u>दुधारु पशु</u>** 16,400रु. - भैंस/गाय/ऊंट/याक आदि 1650रु. - भेड़/बकरी **<u>भारवाही पशु</u>** 15,000रु. - ऊंट/घोड़ा/बैल आदि 10,000रु. - बछड़ा/गधा/ट्टू/खच्चर यह सहायता आर्थिक रुप से लाभकारी पशुओं की हानि के लिए ही दी जाएगी । और प्रति परिवार 1 बड़े दुधारु पशु अथवा 4 छोटे दुधारु पशु अथवा 1 बड़े भारवाही पशु अथवा 2 छोटे भारवाही पशुओं तक सीमित होगी, भले ही उस परिवार को कई पशुओं की हानि हुई हो । (इस हानि को राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित किया जाएगा । **<u>मुर्गीपालन:-</u>** प्रति पक्षी 37रु. की दर से सहायता दी जाएगी किंतु अधिकतम सहायता राशि प्रति लाभार्थी

		परिवार 400रु. होगी और पोटट्री पशुओं की मृत्यु प्राकृतिक आपदा के कारण हुई हो । टिप्पणी:- किसी अन्य सरकारी स्कीम से सहायता लेने वाला परिवार इन मानदंडों के तहत राहत के लिए पात्र नहीं है, उदाहरणार्थ एविअन इफ्ल्यूएंजा अथवा किसी अन्य बीमारी के कारण पक्षियों के मर जाने पर जिसके लिए पशु पालन विभाग की मुर्गी पालन मालिकों को क्षतिपूर्ति के लिए एक अलग स्कीम है ।
ii)	पशु शिविरों में जलापूर्ति और औषधियों सहित चारे/पशु खाद्य पदार्थों की व्यवस्था	बड़े पशु - प्रति दिन 50रु. छोटे पशु - प्रति दिन 25रु. राहत प्रदान करने की अवधि राज्य कार्यकारी समिति (एस ई सी) और केंद्रीय अम (एन डी आर एफ के मामले में) के आकलन के अनुसार होगी । सहायता की डिफॉल्ट अवधि 30 दिन तक होगी जिसे पहली बार 60 दिन तक बढ़ाया जा सकेगा और भीषण सूखे के मामले में 90 दिन तक बढ़ाई जा सकती है ।

		यह सहायता एस ई सी द्वारा जरुरत के आकलन और पशु गणना के अनुसार पशुओं के आकलन के अनुरुप केंद्रीय टीम की सिफारिशों (एन डी आर एफ के मामले में) पर आधारित होगी लेकिन इसके लिए औषधि और टीके की आवश्यकता आपदा के कारण हुई है इस के बारे में सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा ।
iii)	पशु शिविर के बाहर पशुओं के लिए चारा पहुंचना	एस ई सी द्वारा आवश्यकता के आकलन और पशु गणना के अनुसार पशुओं के आकलन के अनुरुप केंद्रीय टीम (एन डी आर एफ के मामले में) की सिफारिशों के आधार पर परिवहन की वास्तविक लागत के अनुसार
7.	**<u>मछली - पालन</u>**	
i)	क्षतिग्रस्त अथवा नष्ट हुई नौका, नेट की मरम्मत/बदलने के लिए मछुआरे को सहायता - नाव	केवल आंशिक रुप से क्षतिग्रस्त नौकाओं की मरम्मत के लिए 3000रु. आंशिक रुप से क्षतिग्रस्त नेट की मरम्मत के लिए - 1500रु. पूरी तरह से क्षतिग्रस्त नौकाओं को बदलने के

	- छोटी डोंगी - बेड़ा - नेट (यदि कोई लाभार्थी किसी अन्य सरकारी स्कीम के तहत अचानक आने वाली आपदा के लिए किसी सब्सिडी/सहायता के लिए पात्र है या उसने वह सब्सिडी/सहायता ली है तो उसे यह सहायता नहीं दी जाएगी ।	लिए - 7000रु. पूरी तरह से क्षतिग्रस्त नेट को बदलने के लिए 1850रु.
ii)	फिश सीड फार्म के लिए इनपुट सब्सिडी	6000रु. प्रति हेक्टेयर (यदि कोई लाभार्थी किसी अन्य सरकारी स्कीम के तहत अचानक आने वाली आपदा के लिए किसी सब्सिडी/सहायता का पात्र है या उसने वह सब्सिडी/सहायता ली हैं तो उसे यह सहायता नहीं दी जाएगी किंतु पशु-पालन एवं डेयरी तथा मछली पालन विभाग, कृषि मंत्रालय की स्कीम के तहत दी गई एक बार दी जाने वाली सब्सिडी लेने वाले लाभार्थी को यह

		सहायता दी जाएगी ।
8.	**<u>हस्तशिल्प/हथकरघा - कारीगरों को सहायता</u>** i) क्षतिग्रस्त औजार/ उपकरणों को बदलने के लिए ii) कच्चे माल/प्रक्रियागत माल/तैयार माल की हानि के लिए	उपकरणों के लिए प्रति कारीगर 3000रु. - बशर्ते कि सरकार द्वारा निर्दिष्ट सक्षम प्राधिकारी ने उनकी क्षति और उन्हें बदलने के लिए प्रमाणपत्र दिया हो । कच्चे माल के लिए प्रति कारीगर 3000रु. - लेकिन राज्य सरकार द्वारा निर्दिष्ट सक्षम प्राधिकारी से क्षति और उसे बदलने के लिए प्राप्त प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा ।
9.	**<u>आवास</u>**	
क)	**<u>पूरी तरह क्षतिग्रस्त/नष्ट हुए घर</u>**	मैदानी क्षेत्रों में प्रति मकान 70,000रु.
i)	पक्का घर	एकीकृत कार्य योजना (आई ए पी) जिलों सहित पर्वतीय क्षेत्रो में प्रति मकान 75,000रु.
ii)	कच्चा घर	प्रति मकान 17,600रु.
ख)	**<u>गंभीर रुप से क्षतिग्रस्त घर</u>**	
i)	पक्का घर	प्रति मकान 12,600रु.
ii)	कच्चा घर	प्रति मकान 3800रु.

ग)	**<u>आंशिक रुप से क्षतिग्रस्त घर</u>**	
i)	पक्का घर (झोपड़ी को छोड़कर) जहां कम-से-कम 15% क्षति हुई है	प्रति मकान 3800रु.
ii)	कच्चा घर (झोपड़ी से भिन्न) जहां कम-से-कम 15% क्षति हुई है	प्रति मकान 2300रु.
घ)	क्षतिग्रस्त/नष्ट हुई झोंपड़ियां	प्रति झौंपड़ी 3000रु. (झोपड़ी से अर्थ है - अस्थायी यूनिट एक जगह से हटकर दूसरी जगह बनाई जाने वाली यूनिट, कच्चे घर से निम्न श्रेणी का फूस, गोबर, प्लास्टिक शीट आदि से बना घर जिसे राज्य/जिला प्राधिकरण ने पारंपरिक रुप से झौंपड़ी नाम दिया हो) **<u>टिप्पणी:-</u>** क्षतिग्रस्त मकान राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा विधिवत् प्रमाणित प्राधिकृत मकान होना चाहिए ।
ड.)	घर के साथ लगा पशुओं का शेड	प्रति शेड 1500रु.

10.	**<u>बुनियादी सुविधाएं</u>** क्षतिग्रस्त बुनियादी सुविधाओं की मरम्मत/नवीनीकरण (तत्काल स्वरुप की): 1) सड़क और पुल (2) पेय जल आपूर्ति संबंधी निर्माण कार्य (3) सिंचाई (4) पॉवर (प्रभावित क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति को तुरंत बहाल करने तक सीमित), (5) विद्यालय, (6) प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (7) पंचायत द्वारा अधिकृत सामुदायिक आस्तियॉ ।	**<u>तत्काल स्वरुप के कार्य:</u>** ऐसे कार्यों की निदर्शात्मक सूची संलग्न परिशिष्ट में दी गई है जिन्हें तत्काल स्वरुप के क्रियाकलाप माना जा सकता है । आवश्यकताओं का आकलन : एस ई सी द्वारा राज्यों के अनुसार आवश्कयता के आकलन, मरम्मत के खर्च/दरें/अनुसूची के अनुसार आकलन पर और केंद्रीय टीम (एन डी आर एफ के मामले में) की सिफारिश पर आधारित
	दूरसंचार और पॉवर (तुरंत विद्युत आपूर्ति बहाल करने को छोड़कर जैसे क्षेत्रों को छोड़ दिया गया है) जो अपना राजस्व स्वंय एकत्र करते हैं	सड़कों की मरम्मत के संबंध में भारी वर्षा/बाढ़, चक्रवात, भूस्खलन, बालू टिब्बों आदि से प्रभावित क्षेत्रों में यातायात की पुनर्बहाली के लिए सड़कों की मरम्मत करने हेतु समय समय पर यथासंशोधित भारतीय सड़क अनुरक्षण मानदंड

	और अपनी निधि संसाधनों से तत्काल मरम्मत/नवीकरण का काम भी करते हैं ।	2001 को पूर्णतया ध्यान में रखा जाएगा । संदर्भ के लिए ये मानदंड इस प्रकार हैं: - **सामान्य और शहरी क्षेत्र:** सामान्य मरम्मत (ओ आर) और आवधिक मरम्मत (पी आर) के जोड़ के 15% तक - **पर्वतीय क्षेत्र :** साधारण मरम्मत और आवधिक मरम्मत के जोड़ के 20% तक **टिप्पणी:-** राज्य सबसे पहले नियमित मरम्मत और रख-रखाव के लिए बजट में किए गए प्रावधान का इस्तेमाल करेंगे ।
11.	**प्रापण** आपदा की प्रतिक्रिया स्वरुप संचार उपकरणों सहित अनिवार्य तलाशी, बचाव और निर्वात उपकरणों की खरीद	- राज्य कार्यकारी समिति (एस ई सी) द्वारा आकलित के अनुसार केवल एस डी आर एफ (एन डी आर एफ से नहीं) से व्यय किया जाएगा । - इस मद पर कुल व्यय एस डी आर एफ के वार्षिक आबंटन का अधिकतम 5% होना चाहिए ।

परिशिष्ट

(मद सं. 10)

तत्काल स्वरुप के रुप में निर्दिष्ट कार्यकलापों की निर्दर्शात्मक सूची

1. पेय जल आपूर्ति:

i) हैंड पंप/रिंग वेल्स/स्प्रिंग - टैप्ड चैंबर्स/पब्लिक स्टैंड पोस्ट, कुंड के क्षतिग्रस्त चबूतरों की मरम्मत ।

ii) क्षतिग्रस्त स्टैंड पोस्ट की मरम्मत जिसमें क्षतिग्रस्त पाइप के स्थान पर नई पाइप लगाना, शुद्ध पानी के जलाशयों की सफाई (इसे लीक प्रफू (पानी का रिसाव न हो) बनाने के लिए)

iii) क्षतिग्रस्त पंपिंग मशीन, छत पर लगी पानी की टंकियों के रिसाव और जल पंप की मरम्मत, जिसमें क्षतिग्रस्त इन्टेक-स्ट्रक्चर, ग्रैंट्रीज/जेट्टी तक पहुंचने का मार्ग शामिल है ।

2. सड़कें

i) दरार और सड़क के गड्ढे भरना, जलमार्ग बनाने के लिए पाइप का इस्तेमाल, तटबंधों की मरम्मत और पत्थर लगाना ।

ii) टूटी हुई भूमिगत नालियों की मरम्मत ।

iii) टूटे हुए पुल/पूरी तरह से नष्ट पुलों का मलबा हटाना ताकि तुरंत कनेक्टिविटी बहाल की जा सके ।

iv) पुल/पुलों के बांध तक के मार्ग की अस्थायी मरम्मत, क्षतिग्रस्त रेलिंग पुलों की मरम्मत, सेतु की मरम्मत ताकि तुरंत कनेक्टिविट बहाल की जा सके, ग्रेनुलर सब बेस, बहुत अधिक क्षतिग्रस्त सड़कों की अस्थायी मरम्मत करना ताकि यातायात बहाल किया जा सके ।

3. सिंचाई :

i) क्षतिग्रस्त नहरों, मिट्टी/ईंट से बने टैंक और छोटे जलाशयो की सीमेंट, रेत और पत्थर से तत्काल मरम्मत ।

ii) पाइप अथवा बांध की दीवारों/सेतु में चूहों द्वारा किए गए छेदों जैसे कमजोर स्थानों की मरम्मत ।

iii) नहर और जल निकासी व्यवस्था से वानस्पतिक सामग्री/निर्माण सामग्री/कचरा निकालना ।

4. <u>स्वास्थ्य :</u>

प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों/सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों के क्षतिग्रस्त रास्तों, भवनों ओर विद्युत लाइनो की मरम्मत ।

5. <u>पंचायत की सामुदायिक आस्तियॉ</u>

क) गांव की आंतरिक सड़कों की मरम्मत ।

ख) जल-निकासी/मल-निकास लाइनों से मलबा हटाना ।

ग) आंतरिक जलापूर्ति लाइनों की मरम्मत ।

घ) स्ट्रीट लाइट की मरम्मत ।

ङ) प्राथमिक विद्यालयों, पंचायत घरों, सामुदायिक हॉल, आंगनवाड़ी आदि की अस्थायी मरम्मत ।

कार्यबल की सिफारिशों पर जनमत मांगते हुए आपदा

प्रबंधन अधिनियम, 2005 की समीक्षा करने

के लिए गठित कार्यबल की रिपोर्ट

कृषि और सहकारिता विभाग, कृषि मंत्रालय, भारत सरकार के पूर्व सचिव और वर्तमान में गुजरात विद्युत विनियामक आयोग, गुजरात के अध्यक्ष डा0 पी0 के0 मिश्रा की अध्यक्षता में आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की समीक्षा करने के लिए एक कार्य बल का गठन किया गया था । कार्य बल ने बैठकों, क्षैत्रीय और राष्ट्रीय स्तर की कार्यशालाओं के माध्यम से सरकारी संगठनों, यू एन डी पी, गैर-सरकारी संगठनों और अन्य पण्यधारकों के साथ कई बार विस्तृत और व्यापक परामर्श किया और अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की जो www.mha.gor.in लिंक पर उपलब्ध है ।

कार्य बल की रिपोर्ट

कार्य बल की सिफारिशों पर सुझाव/टिप्पणियॉ निम्नलिखित पते पर मांगी गई है:-

अवर सचिव (डी एम ।।)

आपदा प्रबंधन प्रभाग

गृह मंत्रालय

सी विंग, तीसरी मंजिल,

एन डी सी सी -।। बिल्डिंग, जय सिंह रोड,

नई दिल्ली-110001

टेलीफैक्स - 011-23438071

Usdm2-mha@nic.in

"सुझाव/इन्पुट देने की अंतिम तिथि 31.01.2014 है"

कार्य बल की रिपोर्ट

आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की

समीक्षा

गृह मंत्रालय

भारत सरकार

मार्च 2013

विषय-वस्तु

प्रस्तावना

संक्षिप्तियाँ

कार्य का सारांश

1.0 कार्य बल समीक्षा: संदर्भ, पद्धति और कार्यविधि

1.1 परिचय

1.2 संदर्भ और औचित्य

1.3 कार्य बल का गठन और विचारार्थ विषय

1.3.1 कार्य बल में निम्नलिखित सदस्य शामिल हैं

1.3.2 कार्य बल के विचारार्थ विषय

1.4 पद्धति और कार्यविधि

1.5 रिपोर्ट का स्वरुप

2.0 भारत में आपदा प्रबंधन के लिए विधिक ढांचे का विकास

2.1 परिचय

2.2 आपदा प्रबंधन कानून में हाल ही का विश्वव्यापी रुख

2.3 भारत में आपदा प्रबंधन कानून बनाना

2.4 संवैधानिक उपबंध

2.5 विधिक ढांचा

3.0 आपदा प्रबंधन कानून की बेहतरीन प्रक्रियाएं : विश्वव्यापी समीक्षा

3.1 परिचय

3.2 विश्व के चुनिंदा विकसित और विकासशील देशों के कानूनों की समीक्षा

3.2.3 क्वींसलैंड, आस्ट्रेलिया: आपदा प्रबंधन कानून की आवश्यकता के लिए अनुकरणीय प्रतिक्रिया,

3.2.4 दक्षिण अफ्रीका : आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2002

3.2.5 श्रीलंका : आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2006

3.2.6 सेंट लुशिआ: आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2006

3.2.7 थाईलैंड: आपदा निवारण और प्रशमन अधिनियम, 2007

3.2.8 इंडोनेशया गणतंत्र की आपदा प्रबंधन संबंधी विधि 2007 का नं. 24

3.2.9 फिलिपिन्स: आपदा जोखिम न्यूनीकरण और प्रबंधन अधिनियम, 2010

3.2.10 जापान: जापान डिजास्टर काउंटर मेजर्स बेसिक एक्ट 1997

3.2.11 यथासंशोधित रॉबर्ट टी स्टैफार्ड आपदा राहत और आपात सहायता अधिनियम और संबंधित प्राधिकरण, फेमा 592, जून, 2007 और पोस्ट-कैटरीना एमरजेंसी मेनेजमेंट रिफार्मर एकक्ट, 2002

3.2.12 न्यूजीलैंड: सिविल डिफेंस एंड एमरजैसी मेनेजमेंट एक्ट 2002

3.2.13 एंटीगुआ एंड बारबुडा डिजास्टर मेनेजमेंट एक्ट, 2002

3.3 भिन्न-भिन्न देशों के मुख्य बिंदु

3.3.6 आपदा जोखिम प्रबंधन के लिए संस्थागत और विधिक प्रणाली के सामान्य सिद्धांत

3.4 निष्कर्ष - सार

4.0 आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 में परिकल्पित राष्ट्रीय स्तरीय संस्थाओं की कार्यप्रणाली की समीक्षा

4.1 परिचय

4.2 आपदा प्रबंधन अध्नियम 2005 से पूर्व संस्थागत व्यवस्था

4.3 आपदा प्रबंधन अध्नियम 2005 में परिकल्पित संस्थागत संरचना

4.4.1 राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण

4.3.2 राष्ट्रीय कार्यकारी समिति

4.3.3 राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान

4.3.4 राष्ट्रीय आपदा अनुक्रिया बल

4.3.5 भारत सरकार के मंत्रालयों की भूमिका, जिम्मेदारियां और कार्य

4.4 क्षेत्रीय और राष्ट्रीय स्तर के परामर्श के दौरान हितधारकों के वचार और सुझाव

4.4.2 राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण

4.4.3 राष्ट्रीय कार्यकारी समित

4.4.4 राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान

4.4.5 राष्ट्रीय आपदा अनुक्रिया बल

4.5 राष्ट्रीय स्सतरीय संस्थाओं की कार्यप्रणाली का अवलोकन

4.6 अधिनियम के मौजूदा उपबंधों को बेतहर बनाने के लिए विकल्पों का पता लगाना और सुझाव तैयार करने संबंधी

5.0 **राज्य, जिला और स्थानीय स्तर पर आपदा प्रबंधन संस्थाओं की कार्यप्रणाली की समीक्षा**

5.1 परिचय

5.2 आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 से पूर्व संस्थागत व्यवस्थाएं

5.3 आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 में उल्लिखित संस्थागत संरचना

5.3.1 राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण

5.3.2 राज्य कार्यकारी समिति

5.3.3 जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण

5.4 क्षेत्रीय और राष्ट्रीय परामर्श के दौरान हितधारकों के विचार और सुझाव

5.4.1 राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और राज्य कार्यकारी समिति

5.4.2 जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण

5.4.3 स्थानीय प्राधिकरण

5.5 राज्य और जिला स्तरीय संस्थाओं की कार्यप्रणाली का विश्लेषण और सिफारिशें

5.5.1 राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और राज्य कार्यकारी समिति

5.5.2 जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण

5.5.3 स्थानीय प्राधिकरण

6.0 **सरकार की भूमिका और वित्तीय व्यवस्थाएं**

6.1 परिचय

6.2 केंद्र सरकार की भूमिका

6.3 राज्य सरकार की भूमिका

6.4 आपदा प्रबंधन योजनाएं तैयार करना

6.5 आपदा प्रबंधन योजनाएं तैयार करने संबंधी सिफारिशें

6.6 वित्तीय व्यवस्था

6.6.1 आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 से पूर्व वित्तीय व्यवस्था

6.6.2 अधिनियम में परिकल्पित अनुसार आपदा प्रबंधन का वित्तीयन

6.6.3 परामर्श के दौरान हितधारकों के विचार

6.6.4 अधिनियम के उपबंधों की समीक्षा और सिफारिशें प्रतिपदित

6.6.5 उपबंधों की कुछ सीमाएं

6.6.6 अधिनियम के वित्त संबंधी उपबंधों पर सिफारिशें

7.0 **आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के अन्य उपबंध**

7.1 परिचय

7.2 परामर्श के दौरान हितधारकों के विचार

7.3 कार्य बल की सिफारिशें

8.0 **कार्य बल की सिफारिशों का सारांश**

8.1 राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकारण (एन डी एम ए) की भूमिका और कार्य (पैरा 4.6.2.6.1 से 4.6.2.6.4)

8.2 एन डी एम ए की संरचना (पैरा 4.6.2.6.5 से 4.6.2.6.3)

8.3 उच्च स्तरीय समिति (एच सी एल) (पैरा 4.6.2.6.9)

8.4 राष्ट्रीय कार्यकारी समिति (एन ई सी) (पैरा 4.6.3 से 4.6.3.3.3)

8.5 राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान (एन आई डी एम) (पैरा4.6.4 से 4.6.4.4)

8.6 राष्ट्रीय आपदा अनुक्रिया बल (एन डी आर एफ) (पैरा 4.6.5 से 4.6.5.3.6)

8.7 राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एस डी एम ए) (पैरा 5.5.1.1 से 5.5.1.5)

8.8. राज्य कार्यकारी समिति (एस ई सी) (पैरा 5.5.1.6 से 5.5.1.8)

8.9 जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एस डी एम ए) (पैरा 5.5.2 से 5.5.2.5.5)

8.10 स्थानीय प्राधिकरण (पैरा 5.5.3 से 5.5.3.3.3)

8.11 आपदा प्रबंधन योजनाएं तैयार करना (पैरा 6.4 से 6.5.8)

8.12 अधिनियम के वित्तीय उपबंध (पैरा 6.6.3 से 6.7.4)

8.13 अधिनियम के अन्य उपबंध (पैश्रा 7.2.1 से 7.3.18)

8.14 प्रस्तावित अतिरिक्त उपबंध

8.15 जोखिम अंतरण और बीमा

8.16 मानव संसाधन सबंधी दृष्टिकोण

संलग्नक - । कार्यालय ज्ञापन: आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की समीक्षा के लिए कार्य बल का गठन

संलग्नक - ।। आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की समीक्षज्ञ के लिए प्रश्नावली

<u>बॉक्सों की सूची</u>

1.1 कार्य-बल के विचारार्थ विषय

1.2 कार्य-बल द्वारा अपनाई गई कार्यविधि

2.1 वर्तमान विश्वव्यापी रुख

2.2 कानून और विनियमों की भूमिका

2.3 भारत में आपदा जोखिम न्यूनीकरण मुद्दों से संबंधित अधिनियम और नियमावली

2.4 भारत में आपदा प्रबंधन विधि के घटना-क्रम का विकास

3.1 क्वींस लैंड, ऑस्ट्रेलिया

3.2 दक्षिण अफ्रीका : आपदा प्रबंधन अधिनियम 2002

3.3 श्रीलंका : आपदा प्रबंधन अधिनियम 2002

3.4 सेंट लुशिआ : आपदा प्रबंधन अधिनियम 2002

3.5 थाईलैंड : आपदा निवारण और प्रशमन अधिनियम, 2007

3.6 इंडोनेशिया गणतंत्र की आपदा प्रबंध्न संबंधी विधि 2007 कंसर्निंग डिजास्टर मेनेजमेंट

3.7 दि फिलिपिन्स : आपदा जोखिम न्यूनीकरण और प्रबंधन अधिनियम, 2010

3.8 जापान : डिजास्टर काउंटर मेजर बेसिक एक्ट 1997

3.9 यथासंशोधित रॉबर्ट टी. स्टैफार्ड आपदा राहत और आपात सहायता अधिनियम और संबंधित प्राधिकरण, फेमा 592, जून, 2007 और पोस्ट कैटरीना एमरजेंसी मेनेजमेंट रिफार्म एक्ट 2002

3.10 बोलिविअन लॉ, 2000

3.11 हाईलाइट्स ऑफ दि यू एन डी पी स्टडी ऑफ बेस्ट प्रेक्टिसिब

4.1 आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 से पूर्व राष्ट्रीय स्तर की संस्थाएं

4.2 आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 में परिकल्पित राष्ट्रीय स्तर की संस्थागत संरचना

4.3 परामर्श के दौरान हितधारकों के विचार

4.4 दूसरे देशों में राष्ट्रीय स्तर की आपदा प्रबंधन संरचनाओं का ढांचा

4.5 एन डी एम ए पर कार्य बल का परिप्रेक्ष्य

4.6 एन डी एम ए का पुनर्गठन

5.1 आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 से पूर्व राज्य और जिला स्तर पर आपदा प्रबंधन के लिए संस्थागत व्यवस्था

5.2 आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 में परिकल्पित राज्य और जिला स्तर की संस्थागत संरचना

5.3 परामर्श के दौरान हितधारकों के विचार

5.4 डी डी एम ए और स्थानीय प्राधिकरणों के संबंध में हितधारकों के विचार

5.5 एस डी एम ए का पुनर्गठन

5.6 डी डी एम ए का पुनर्गठन

5.7 स्थानीय प्राधिकरणों की भूमिका

6.1 आपदा प्रबंधन में सरकार की भूमिका

6.2 आपदा प्रबंधन योजनाए तैयार करना

6.3 अधिनियम से पूर्ण वित्त व्यवस्था

6.4 अधिनियम में उल्लिखित वित्तीय कार्यप्रणाली

6.5 वित्तीय व्यवस्था पर हितधारकों के विचार

6.6 फिलिपिन्स में वर्तमान आपदा प्रबंधन कानून में आपदा प्रबंधन के लिए वित्तीय प्रावधान

6.7 दक्षिण अफ्रीका और कोलंबिया में आपदा प्रबंधन के लिए वित्तीय प्रावधान

7.1 अधिनियम में नए उपबंधों के लिए हितधारकों के सुझाव

<u>प्रस्तावना</u>

यह रिपोर्ट आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की व्यापक समीक्षा है जिसके द्वारा भारत में आपदा प्रबंधन के लिए पहली बार विधिक ढांचा प्रस्तुत किया गया है । यह अधिनियम के उपबंधों का विश्लेषण है न कि देश में आपदा प्रबंधन प्रणाली का मूल्यांकन । आपदा प्रबंधन संगठनों की संरचना और कार्यप्रणाली से संबंधित चर्चा का मुख्य उद्देश्य अधिनियम के संगत उपबंधों के कार्यान्वयन से संबंधित मुद्दों का विश्लेषण करना है ।

जैसा कि आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 में उल्लेखित है, राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तर पर कई नए संगठन/संस्थाएं बनाई गई हैं । उनमें से कुछ ने बहुत अच्छा काम किया है । उदाहरणार्थ राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने आपदा प्रशमन और तैयारी के लिए व्यापक दिशानिर्देश जारी किए हैं । राष्ट्रीय आपदा अनुक्रिया बल ने आपदा की स्थिति में तलाशी और बचाव कार्य करके गहरी छाप छोड़ी है । कुछ राज्यों में राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने काफी उपलब्धियां हासिल की हैं किंतु वास्तविकता यह है कि प्रत्येक स्तर पर इन संस्थाओं का कार्यसंचालन उनकी भूमिका स्पष्ट न होने और संरचनात्मक विषमताओं, मानव संसाधनों की कमी और पर्याप्त बुनियादी सुविधा न होने के कारण बाधित होता है । अधिनियम के कुछ उपबंध भी उनके कार्यान्वयन की समस्याओं को बढ़ाते हैं । इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि अधिनियम में जो कुछ कहा गया है उसे अभी हासिल किया जाना बाकी है । अधिकांश मामलों में, नई

संस्थाओं ने कोई भी सराहनीय कार्य नहीं किया है उनमें से कुछ तो काम ही नहीं कर रही हैं । जबकि संस्थागत व्यवस्थाएं जो अधिनियम से पूर्व थी अभी भी वही व्यवस्थाएं हैं । कहना न होगा कि इससे भ्रामक स्थिति उत्पन्न हुई है । कार्य बल ने इस महत्वपूर्ण मुद्दों के समाधान के लिए प्रयास किए हैं, यद्यपि ये प्रयास अधिनियम के उपबंधों तक सीमित हैं ।

इस संबंध में समय-समय पर कानून, विनियम और सहिताएं बनाई गई हैं । विधि ने पर्यावरण, स्वास्थ्य और वित्त जैसे क्षेत्रों में महत्वपूर्ण मुद्दों के समाधान के लिए और अन्य क्षेत्रों में व्यापक आर्थिक विकास के लिए औपचारिक आधार प्रदान किया है । विनियमों और संहिताओं में विशेष मानदंड और प्रक्रियाएं निर्धारित की गई है । ऐसे कई कानून, विनियम और संहिताएं हैं यद्यपि क्षेत्रीय कार्याकलापों से संबद्ध हैं लेकिन आपदा प्रबंधन से भी सम्बद्ध हैं । तथापि पिछले कुछ दशक से आपदा प्रबंधन पर मूलभूत कानून बनाने की आवश्यकता महसूस की जा रही है जो कि व्यापक हो और समग्र रुप से इसी क्षेत्र के लिए हो । इस संबंध में आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 मील का पत्थर साबित हुआ है क्योंकि इसमें प्रशमन, तैयारी, अनुक्रिया, विभिन्न क्षेत्रों में बहाली और पुनर्निर्माण से संबंधित आपदा प्रबंधन कार्याकलापों के लिए विधिक आधार प्रदान किया गया है । अधिनियम में राष्ट्रीय, राज्य, जिला और स्थानीय स्तर पर संगठनात्मक संरचनाओं और वित्त व्यवस्था की भी रुपरेखा दी गई है ।

अधिनियम के कार्यान्वयन के दौरान कई राज्यों ने कुछ समस्याओं और अवरोधों के प्रति केंद्रीय गृह मंत्रालय का ध्यान आकर्षित किया है । अतएवं भारत सरकार ने आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की समीक्षा करने के लिए 23 दिसंबर, 2010 को कार्य बल गठित किया । इसके विचारार्थ विषयों के अनुसार कार्य बल से यह अपेक्षित था कि वे राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों अन्यं प्रणधारियों के साथ चर्चा के दौरान सामने आए सुझावों के आधार पर अधिनियम में अनिवार्य संशोधन करने, यदि काई हो, का सुझाव दें । इस समीक्षा के एक भाग में चुने हुए देशों में आपदा प्रबंधन कानूनों का अध्ययन करना था ताकि उनमें से बेहतर पद्धतियों को छांट कर भारतीय संदर्भ में उन्हें अपनाया जा सके ।

कार्य बल ने कई बार व्यापक और विस्तृत परामर्श किया । उन्होंने राष्ट्रीय और क्षेत्रीय स्तर पर सरकारी संगठनों, गैर-सरकारी संगठनों और अन्य पणधारियों के साथ कई कार्यशालाएं और चर्चा की हैं । कार्य बल द्वारा अपनाए गए दृष्टिकोण और कार्यविधि का इस रिपोर्ट के अध्याय 1 में उल्लेख किया गया है ।

रिपोर्ट के प्रत्येक अध्याय में व्यापक विषय अथवा पहलू के बारे में चर्चा की गई है । उदाहरणार्थ, अध्याय 4 में अधिनियम में उल्लिखित के अनुसार राष्ट्रीय स्तर पर संगठनात्मक ढांचों की भूमिका दायित्वों और कार्य संचालन की समलोचनात्मक जांच का उल्लेख किया गया है ताकि संगत उपबंधों के कार्यान्वयन संबंधी मुद्दों को हल किया जा सके। अध्याय 5 राज्य, जिला और स्थानीय स्तर के संगठनात्मक ढांचों से संबंधित है। अध्याय 6 में सरकार की

भूमिका और दायित्व तथा अधिनियम द्वारा निर्धारित वित्तीय व्यवस्था का उल्लेख है।

हमने अधिनियम के संगत उपबंधों की रूपरेखा बनाम अधिनियम से पूर्ण की विद्यमान संस्थागत व्यवस्थाओं से शुरूआत करते हुए प्रत्येक अध्याय को निश्चित स्वरूप देने का प्रयास किया है। रूपरेखा के बाद बहुत से परामर्श के दौरान उभर कर आए फीडबैक, विचारों और सुझावों का संक्षिप्त विवरण है। फीडबैक के बाद संस्थागत ढ़ांचे की कार्यप्रणाली की विश्लेषणात्मक समीक्षा और अधिनियम के संगत उपबंधों का कार्यान्वयन आता है। विश्लेषण में बेहतर कार्यसंचालन प्रणाली के विकल्पों का पता लगाने और उपबंधों में अपेक्षित संशोधन करने के प्रयास का उल्लेख है। अंतत कार्यबल द्वारा की गइर सिफारिशों से अध्याय की समाप्ति की गई है।

कुछ अध्यायों में, भिन्न-भिन्न खंडों में सिफारिशों को सूचीबद्ध किया गया है किंतु उन्हें अध्याय के अंत में एक साथ दोहराया गया है। रिपोर्ट के अंतिम अध्याय में कार्यबल की सभी सिफारिशों को एक साथ समेकित रूप से प्रस्तुत किया गया है। यद्यपि इस प्रक्रिया में कुछ हद तक पुनरावृत्ति होती है लेकिन इसका उद्देश्य इस रिपोर्ट के उपयोक्ता द्वारा अपने विशिष्ट प्रयोजन के आधार पर आसानी से किसी सिफारिश को प्राप्त करना है।

यह कार्य बल क्रमश: पूर्व और वर्तमान केंद्रीय गृह मंत्री श्री पी. चिदंबरम और श्री सुशील कुमार शिंदे के प्रति अपना आभार व्यक्त करना चाहता है। जिन्होंने आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की समीक्षा की प्रक्रिया शुरू की और उसमें तेजी लाने में सहयोग दिया।

इसके सार का अन्वेषण करने के दौरान कार्यबल ने श्री शाशिधर रेड्डी उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और सदस्य, एन डी एम ए साथ ही श्री बी. भट्टाचार्य, श्री जे के सिन्हा, श्री के एम सिंह, मेजर जनरल जे के बंसल, श्रीटी. नंदा कुमार, डॉ. मुजफ्फर अहमद, प्रोफेसर हर्ष के गुप्ता और श्री वी के दुग्गल के साथ परस्पर संपर्क किया। एनडीएमए ने अधिनियम के विभिन्न उपबंधों का विश्लेषण करने का बीड़ा उठाया और उसे लिखित में संप्रेषित किया। एन डी एम ए के पूर्व सदस्य डॉ. मोहन काउं के पास बांटने के लिए बहुत अधिक व्यावहारिक ज्ञान था। यद्यपि भारत का योजना आयोग कार्यबल के साथ चर्चा की व्यवस्था नहीं कर सका लेकिन उसने लिखित पत्र के माध्यम से आपदा प्रबंधन के वित्तीय पहलुओं पर उपयोगी विचार संप्रेषित किए।

केंद्रीय गृह सचिव श्री आर के सिंह ने राष्ट्रीय कार्यकारी समिति के सदस्यों के साथ अधिनियम बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। उन्होंने कार्यबल के साथ बातचीत में काफी समय व्यतीत किया और समीक्षा के संबंध में मूल्यवान तथ्य प्रस्तुत किए। श्री ए के मंगोत्रा, सचिव (सीमा प्रबंधन) ने कार्यबल को एक

सहयोग दिया। श्री पी जी धर चक्रवर्ती और श्री सुतानु बेहुरिआ, पूर्व सचिव, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन, श्री पी के बासु, तत्कालीन सचिव, कृषि और सहकारिता विभाग और श्री सुमित बोस, तत्कालीन सचिव, व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय ने भी अपने बहुमूल्य अनुभव साझा किए। श्री जे सी पंत की अध्यक्षता में उच्च शक्ति प्राप्त समिति के पूर्व सदस्य (1999-2001) श्री अनिल सिन्हा और प्रोफेसर वी के शर्मा ने हमे अंत ज्ञान का खजाना दिया है श्री जे सी पंत संभवत: पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने भारत के लिए व्यापक आपदा प्रबंधन सिस्टम की आवश्यकता पद ध्यान दिलाया है।

कार्यबल ने उनके द्वारा आयोजित राष्ट्रीय कार्यशालाओं और पांच क्षेत्रीय कार्यशालाओं में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों/अन्य पणधारियों की प्रतिक्रिया पर खुशी जताई। इन कार्यशालाओं में बहुत से वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया जिसका संचालन मेजबान राज्यों द्वारा शालीनता से किया गया था। कार्यबल ने ऐसे क्षेत्रों पर जिला कलक्टर से सार्थक चर्चा की जो लंबे समय से आपदा जोखिम संभावित क्षेत्र हैं। स्पष्ट फीडबैक प्रदान करने में उनकी मेहनत और अथक प्रयासों के बिना यह रिपोर्ट इतनी उपयोगी नहीं बन सकती थी।

यू एन डी पी न यू एन सिस्टम के साल्यूशन एक्सचेंज नेटवर्क पर अधिनियम के विभिन्न पहलुओं पर कार्यबल द्वारा तैयार प्रश्नावली को अपलोड करके, उसमें दर्ज सभी टिप्पणियों को संकलित करके और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों,

गैर-सरकारी संगठनों और अन्य सिविल सोसाइटी के सदस्यों की उत्कृष्ट कार्यशालाएं आयोजित करके महत्वपूर्ण योगदान दिया है। श्री जी पदमनाभम, वरिष्ठ आपात स्थिति विश्लेषक और प्रभारी अधिकारी, आपदा प्रबंधन यूनिट सुश्री आभा मिश्रा और सुश्री रंजिनी मुखर्जी, परियोजना अधिकारी, यू एन डी पी का हम आभार प्रकट करते है जिन्होंने कार्यबल का सहयोग करने में अपना अमूल्य समय दिया।

हम विशेष रूप से डॉ. कृष्णा एस वत्स, क्षेत्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण सलाहकार (यूनाइटेड नेशन्स डेवलपमेंट प्रोग्राम/ब्यूरो फॉर क्राइसिस प्रीवेंशन एंड रीकवरी) और डॉ. वी तिरुप्पुगाझ, अपर सी ई ओ, गुजरात राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का आभार व्यक्त करना चाहते हैं जिन्होंने कार्य बल का सहयोग करने के लिए अपना समय और ऊर्जा लगाई। डॉ. वत्स ने विस्तृत प्रश्नावली तैयार करने के अथक प्रयास किए जिनके आधार पर परामर्श किया गया। उन्होंने आपदा प्रबंधन विषय पर उपलब्ध साहित्य का अध्ययन किया और समय-समय पर बहुमूल्य योगदान दिया। डॉ. तिरूप्पुगाभा ने हाल ही में आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में अपना डाक्टरेट पूरा किया है। उन्होंने कार्यबल के प्रयासों में योगदान करने के लिए न केवल अंतर्राष्ट्रीय बेहतर पद्धतियों का अध्ययन किया बल्कि चर्चाओं में भी भाग लिया और योगदान करने के लिए रचनात्मक दृष्टिकोण अपनाया।

कार्यबल की अधिकांश बैठकें राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान में आयोजित की गई थीं इस संस्थान न इस प्रयोजन के लिए सम्मेलन कक्ष तुरंत उपलब्ध करवाया। बैठक के संचालन के लिए सहयोग दिया और कुल मिलाकर चर्चा के लिए शांत और सहायक वातावरण प्रदान किया है। इसके अलावा, कार्यबल ने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान के साथ औपचारिक बैठक की जिसमें अधिनियम पर अपने विचारों पर औपचारिक रूप से प्रकाश डाला। कार्यबल राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान के डॉ. सतेन्द्र, कार्यकारी निदेशक, प्रोफेसर संतोष कुमार और अन्य संकाय सदस्यों तथा स्टाफ के प्रति कृतज्ञ है।

यहां यह उल्लेख करना जरूरी है कि पूर्व संयुक्त सचिव श्री आर के श्री वास्तव और निदेशक (आपदा प्रबंधन) श्री जे पी मिश्रा के साथ अत्याधिक सकारात्मक विचार-विमर्श हुआ। हम गृह मंत्रालय के आपदा प्रबंधन प्रभाग के कई अन्य अधिकारियों का भी धन्यवाद करना चाहेंगे जिन्होंने एक वर्ष तक कार्यबल का सहयोग करने के लिए उत्साह से कड़ी मेहनत की जैसे श्री अशोक शुक्ला, उप सचिव (आपदा प्रबंधन II), श्री आशीष कुमार पांडा, अवर सचिव (आपदा प्रबंधन II) श्री चंदर भान और श्री सारत पांडा, दोनों परामर्शदाता। हम श्री आर जी पिल्लै, अध्यक्ष जी ई आर सी के निजी सहायक, जिन्होंने इस रिपोर्ट के कई अध्यायों का पहला ड्राफ्ट टाइप किया और सुश्री पदमनाभन के भी आभारी है, जिन्होंने कूपी एडिटिंग का उत्कृष्ट कार्य किया।

कार्य बल को इस कार्य में बहुत से लोगों के सहयोग दिया जिनमें से प्रत्येक व्यक्ति के नाम का यहां उल्लेख करना संभव नहीं है जैसे अन्य के साथ साथ भारतसरकार के विभिन्न विभागों और मंत्रालयों के वरिष्ठ अधिकारियों से लेकर जिला कलक्टर तक। उन सभी के लिए और ऐसे अन्य लोगों के प्रति हृदय से आभार प्रकट करते हैं जिन्होंने इस समीक्षा के लिए अत्याधिक योगदान दिया है।

कार्यबल के अध्यक्ष ने कार्यबल के सदस्यों का उल्लेख करक उनके द्वारा मूल्यवान योगदान सराहना की कार्यबल के सदस्य इस प्रकार है : डॉ. श्याम एम. अग्रवाल, सचिव, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, श्री जी वी वी वी शर्मा, संयुक्त सचिव, आपदा प्रबंधन प्रभाग, गृह मंत्रालय और विधि एवं न्याय मंत्रालय, श्री सतीश चंद्र संयुक्त सचिव और विधिक सलाहकार, श्री चंदर वीर, उप विधायी काउंसल और श्री उदय कुमार, उप विधायी काउंसल।

नई दिल्ली (डॉ. पी. के. मिश्रा)

8 मार्च, 2013 अध्यक्ष

संक्षिप्तियां

ए आर सी	प्रशासनिक सुधार आयोग
ए टी आई	प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थान
बी आर ओ	सीमा सड़क संगठन
बी एस एफ	सी सुरक्षा बल
सी ए जी	भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक
सी ई ओ	मुख्य कार्यकारी अधिकारी
सी आई एस एफ	केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल
सी एम सी	संकट प्रबंधन समिति
सी एम जी	संकट प्रबंधन समूह
सी आर एफ	आपदा राहत निधि
सी आर पी एफ	केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल
डी सी	जिला कलक्टर/उपायुक्त/जिला आयुक्त
डी डी एम ए	जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण
डी एम	आपदा प्रबंधन
डी एम एक्ट	आपदा प्रबंधन अधिनियम
डी जी एन डी आर एफ	महानिदेशक, राष्ट्रीय आपदा अनुक्रिया बल

डी पी ए पी	सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम
डी आर डी ए	जिला ग्रामीण विकास एजेंसी
डी आर डी ओ	रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन
ई सी ओ	आपातकालीन शल्य-चिकित्सा केंद्र
एफ सी	वित्त आयोग
एफ ई एम ए	संघीय आपात प्रबंधन एजेंसी
एच पी सी	उच्च शक्ति प्राप्त समिति
एच एफ ए	योगो फ्रेमवर्क फार एक्शन
एच एल सी	उच्च स्तरीय समिति
आई सी डी एम	अंतर-सरकारी आपदा प्रबंधन समिति
आई डी एन डी आर	अंतर्राष्ट्रीय आपदा में कमी आने का दशक
आई ई सी	सूचना, शिक्षा और संप्रेषण
आई आई पी ए	भारतीय लाक प्रशासन संस्थान
आई एम डी	भारतीय मौसम विज्ञान विभाग
आई एम जी	अंतर-मंत्रालय ग्रुप
आई एस डी आर	आपदा कम करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्यनीति
आई टी बी पी	भारत-तिब्बत सीमा पुलिस
एल बी एस एन ए ए	लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी

एल डी आर आर एम एफ	स्थानीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण और प्रबंधन निधि
एम एच ए	गृह मंत्रालय
एम जी एन आर ई जी ए	महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम
एन डी एम	राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन
एन सी सी एफ	राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता निधि
एल सी सी एम	राष्ट्रीय विपत्ति (कलैमिटी) प्रबंधन
एन सी डी एम	राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन केंद्र
एन सी एम सी	राष्ट्रीय संकट प्रबंधन समिति
एन डी एम ओ	राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन कार्यालय
एन सी आर डब्ल्यू सी	संविधान की कार्यप्रणाली की समीक्षा करने के लिए राष्ट्रीय आयोग
एन डी एम ए एफ	राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन सलाहाकार फोरम
एन डी एम एफ	राष्ट्रीय आपदा प्रशमन निधि
एन डी पी एम सी	राष्ट्रीय आपदा निवारण और प्रशमन समिति
एन डी आर एफ	राष्ट्रीय आपदा अनुक्रिया बल/राष्ट्रीय आपदा अनुक्रिया निधि

एन डी आर आर एम सी	राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण और प्रबंधन समिति
एन डी एम ए	राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण
एन ई सी	राष्ट्रीय कार्यकारी समिति
एन ई एम ए	राष्ट्रीय आपात प्रबंधन प्राधिकरण
एन एफ सी आर	राष्ट्रीय विपत्ति राहत निधि
एन जी ओ	गैर-सरकारी संगठन
एन एच आर सी	राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग
एन आई डी एम	राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान
ओ एम	कार्यालय ज्ञापन
पी एम ओ	प्रधानमंत्री कार्यालय
आर के वी वाई	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना
एस सी एम सी	राज्य संकट प्रबंधन समिति
एस डी एम ए	राज्य संकट प्रबंधन प्राधिकरण
एस डी एम एफ	राज्य आपदा प्रशमन निधि
एस डी एम ओ	एस डी एम ए का कार्यालय
एस डी आर एफ	राज्य आपदा अनुक्रिया निधि
एस ई सी	राज्य कार्यकारी समिति

एस एफ डी आर	राज्य आपदा अनुक्रिया निधि
यू एन	संयुक्त राष्ट्र
यू एन डी पी	संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम
यू एन आई एस डी आर	संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्यनीति
यू एस ए	संयुक्त राज्य अमरीका
यू टी	संघ राज्य क्षेत्र